SHRI VITHALRAO MADHAV RAO JADHAV: Maharashtra is an example in the country.

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: In Maharashtra the secular forces have won. (*Interruptions*) Madam, I wholeheartedly support the Motion and I congratulate the Government on its performance in all aspects of policy matters. Thank you.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR (Bihar): Madam Vice-Chairman, I thank you for giving me an opportunity to speak on the motion of Thanks to the President...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Prof. Thankur, you may please contuine at 5 o'clock.

Now the House stands adjourned for lunch till 2.30.

The House then adjourned for lunch at thirtyone minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-five minutes past two of the clock. **The Vice-Cairman (Dr. R. K. Poddar)** in the Chair.

RESOLUTION RE.WELFARE OF DISABLED PERSONS

THE VICE-CHAIRMAN (DR. R.K. PODDAR): Shri Chaturanan Mishra—not here. Shri M. C. Bhandare to move his Resolution.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir. I beg to move the following Resolution;

"Having regard to the fact that—

the disabled are among the most vulnerable sections of our society; there is an urgent need to acknowledge and realise their specific rights and needs so as to ensure enjoyment of fundamental rights by them on a footing of real equality with other members of society:

any laxity to check and eliminate their exploitation and treatment of a discriminatory, abusive or degrading nature would result in further deterioration of their conditions;

this House while expressing its concern for them reiterates its firm support to their cause and recommends that:—

(1) steps be taken to secure to the disabled equalisation of opportunities, full participation and independent living;

(2) prompt measures be taken for effectively securing them economic, social and cultural rights besides providing them pension, social insurance against sickness and accident, rehabilitation, education, vocational training and employment and suitable working conditions;

(3) these measures be put on a permanent footing through appropriate legislation;

(4) prompt legislative actions including the amendment of the Constitution be taken to provide for:—

(i) positive discrimination in favour of the disabled with provision for deterrent punishment for discrimination against them;

(ii) a minimum quota of jobs for the disabled in employment;

[Shri Murlidhar Chandrakant Bhandare]

(iii) transfer of entry 9 of List II of the Seventh Schedule of the Constitution viz., "relief of the disabled and unemployable" to List III thereof; and

(iv) adequate representation for the dsabled in the elective bodies

(5) efforts be made to:—

(a) collect full and detail statistics in respect of the disabled

(b) create growing public awareness about the rights of the disabled;

(c) support voluntary organisations and institutions working for the welfare of the disabled; and

(d) provide best aid and advice to the disabled community;

(6) adequate resources may be earmarked for achieving the above mentioned objectives".

Sir, I should have, in the nature of things, moved this Resolution last year which was the International Year of the Disabled. But like the disabled, I was myself unlucky in ballot. Even today, it is indeed a matter of pure chance that my esteemed friend, hon. Shri Chaturanan Mishra, is not here and despite the fact that normally Resolution No. 1 takes the entire time of the sitting on a Friday. I am getting this opportunity. I must mention one thing at the outset. This House has always been very sensitive to the issues of the vulnerable sections of the society. Disabled constitute possibly the most vulnerable section of our society. Their relief, rehabilitation and welfare is a continuous and on-going process. It must remain the first charge along with the children on the nation. This is one subject which necessitates constant repetition and close monitoring of the steps taken to achieve our objective as also reiterating our resolve in this behalf. I hope that the hon. Members will appreciate the urgency and the permanency of this Resolution.

Sir, I need not go into the statistics but the problem is of very, very vast magnitude and dimension. Our whole society is an egalitarian society. Equality in status and opportunity constitutes the very core of our Constitution. Yet it is denied to the disabled in a significant manner and measure. It is at all times essential to acknowledge and realise the specific rights corresponding to the needs of the disabled, a pre-requisite for their enjoyment of the Fundamental Rights and other human rights enshrined in our Constitution on a footing of real equality with other members of the society. Prejudice and discrimination constantly haunt the disabled almost in every society, and our society is no exception.

Now, Sir, I come to some of the vexed problems. Though the problem is well-known, the most vexed problem is how to define a 'disabled' In fact, when I gave the notice of this Resolution, I was not myself very happy that we should use the expression 'disabled'. I think, the expression itself is very, very discriminatory. And I was thinking and I am now thinking aloud because I want to share my thoughts with the Members whether or not we should now change the expression 'disabled' in favour of something like 'people or children with special needs. This is only a suggestion, But I hope that the suggestion should be open to a debate which is so very necessary and useful for determining the exact scope and amibit of the protection to be offered to this vulnerable section of the society. Now, I have tried to put a defnition in my own way looking at the various definitions, and I find that something like this would really meet the requirements. Again, let me assure the hon. Minister that this is a very humble suggestion and you could go on to improve upon it. Certainly one must remember that one is not the re-

pository of all wisdom, and the wisdom in our society, a democratic society, comes when the opinions of all shades and all sections are expressed. To me, 'disabled' or as I may call 'people or children with special needs' are those who, of course include the two well-known categories of the physically handicapped and the mentally retarded. To my mind, the definition must be an inclusive definition and not an exhaustive one. And this is how I would like to define--any person, suffering from a permanent or prolonged functional disorder, whether physical or mental, which without having regard to his age and social environment, entails considerable disadvantages for the purposes of his family, social, educational or occupational integrationwith the rest of the society, may be regarded as disabled or if I may again use that expression as one requiring special needs. So, on the one hand, you have a prolonged or a functional disorder, physical or mental, and the impact of it, the effect of it, which because of the age, social environment puts a considerable disadvantage to that individual for a proper integration with his family and therefore with the society in the matter of his education in the matter of his occupation. If the two parts cause and consequence are linked together, I do not think that it is difficult to understand the correct definition. Now, what happens is that we have a highly bureaucratic regime. So, when one comes to think of it one keeps on saying that it is 40 per cent disability then only you are considered a disabled. I am now going to point out a number of things which will show how the disability very much exixsts even when it is not there as popularly conceived. Therefore, I think what is necessary is, as we have in law, to have the idea or the principle where we judge everything on the touchstone of how a common man would have done or behaved in that situation. Now, no law defines a common man, nor does the General Clasuses Act defines it. But everybody knows who is a common man, and I think it should be possible with ad egree of sensitivity and experience that we all possess, to carefully evaluate, what may appear to be a vague expression like the 'considerable disadvantages'. I think 'considerable disadvantages' can certainly be measured if you apply the two tests which I have indicated.

Now under these circumstances even the victims under this definition, even the victims of the Bhopal Gas tragedy, will come under the category of the people with special needs. There are a large number of cases, pollution, which entail disability, physical handicaps, or even mental affliction and, therefore, put that group as a group which requires special attention. In a developing society it is not realised. But poverty and sub-human existence go a long way in creating disability and the requirement of special needs, pollution, malnutrition, hazardous and unhealthy working conditions, lack of medical attention, natural disasters like earthquakes, typhoons, cyclones, wars, violent conflicts and clashes, accidents, irreversible diseases, old-age or heridetary or congenital factors are some of the factors resulting in disability. That is why I have looked at the rights of these people in need of special care. Fortunately, we have a United Nations Charter, called the Declaration on the Rights of Disabled Persons, and, to my mind, it is a short Charter. I will read only four or five relevant clauses of this Charter which, I emphasise, must be kept in mind by all those who are tackling this problem.

For example, clause 3 says: Disabled persons have the inherent right to respect for their human dignity. Disabled persons, whatever the origin, nature and seriousness of their handicaps and disabilities, have the same fundamental rights as their fellow-citizens of the same age, which implies first and foremost the right to enjoy a decent life, as normal and full as possible.' Clause 5: 'Disabled

[Shri Murlidhar Chandrakant Bhandare]

persons are entitled to the measures designed to enable them to become as self-reliant as possible.' Clause 6: 'Disabled persons have the right to medical, psychological and functional treatment, including prosthetic and orthetic appliances, to medical and social rehabilitation, education, vocational training and rehabilitation, aid, counselling, placement services and other services which will enable them to develop their capabilities and skills to the maximum and will hasten processes of their social integration or reintegration.' Clause 7: 'Disabled persons have the right to economic and social security and to a decent level of living. They have the right, according to their capabilities, to secure and retain employment to engage in a useful, productive and remunerative occupation and to join trade unions.' Clause 8: 'Disabled persons are entitled to have their special needs taken into consideration at all stage of economic and social planning.' Clause 9: 'Disabled persons have the right to live with their families or with foster parents and to participate in all social, creative or recreational activities. No disabled person shall be subjected, as far as his or her residence is concerned, to differential treatment other than that required by his or her condition or by the improvement which he or she may derive therefrom. If the stay of a disabled person in a specialised establishment is indispensable, the environment and living conditions therein shall be as close as possible to those of the normal life of a person of his or her age.' Clause 10: 'Disabled persons shall be protected against all exploitation, all regulations and all treatment of a discriminatory, abusive or degrading nature.' Clause 11: 'Disabled persons shall be able to avail themselves of qualified legal aid when such aid proves indispensable for the protection of their persons and property. If judicial proceedings are instituted against them, the legal procedure applied shall take their physical and mental condition fully into account.'

I would give one or two instances which are of recent occurrence. The other day, a friend of mine went to the railway station to purchase a ticket. Just in front of him was a person whose one arm was amputated. When the booking clerk looked at him, he told him : "you have lost only one arm; you do not come under the category of disabled". He was denied the facility of free travel by rail which is, otherwise, available to the disabled.

The Hon. Minister has been gracious enough to be present here. I would request him to look into all these things. Let there not be an artificial approach to this problem. I think, it is safer to the err on the side of magnanimity and over-inclusion in a sphere like this is far more welcome than under inclusion.

There was another case of an Assistant Engineer working in the Haryana State Electricity Board. He suffered from cancer of the bone marrow. He had a prolonged treatment and since the treatment did not work, one of his arms was cut in the Tata Memorial hospital in Bombay. The treatment went on for three years. Earlier he could not do the work as efficiently but he was working. As soon as his arm was amputed, I was shocked to find that the rules of the Haryana Government said, well, in such a case his services will be terminated. He was removed from the engineering cadres and he was given some clerical post which is two notches below his original position in the Engineering service entailing the loss of several hundred rupees per month.

I had myself written to Shri Devi Lalji, who was the Chief Minister of Haryana at that time. I did not get any response. It is a matter of regret that in our country politicians think of the poor, downtrodden, vulnerable sections only when they have to make promises for the election, they do not realise their responsibility to the society which is of a permanent and a perennial character. We even tried to go to the Supreme Court. I must say that the Supreme Court is vested with such a jurisdiction under article 32 that is the heart and soul of our Constitution, where any person when there is a violation of fundamental right could go to the Supreme Court and get it decided by the highest court of our land. Well, it is optional for the Supreme Court to decide it or ask the citizen concerned to come through the High Court. This was one case which would have settled the rights of the disabled and this has been the main emphasis of my Resolution today that this is one problem which brooks no delay and I thought that this was one case where the Supreme Court could have exercised its jurisdiction, given a prompt relief, a relief which went beyond the needs of that particular individual. It would have forever established that in law we should have a positive discrimination in favour of the disabled. But to my disappointment, the Supreme Court said, "Please first go to Punjab and Haryana High Court." Now he will go there. Probably his case will come before a single judge, then before a division bench and then ultimately to the Supreme Court because I do not think the State Government of Haryana would so easily accept the verdict of a single judge. I am saying this on the basis of whatever experience I have got. Sir, I have been repeatedly saying that at least in such matters the Government at the very first instance could as well concede in the court of law that this is the position and we will set it at right. But now the time will take its own process. I only hope that this very unfortunate citizen of India got justice before he retires.

These are some of the problems. Now I come to the grey areas. Of course, the lame, the blind, the deaf, mentally retarded, these categories are all very well known but when it comes to mental disability there are so many many grey areas. I am mentioning them so that we can ponder on them. Now I am not a medical expert, I cannot really comment on this, but one can look into these poblems. There is a man who is absolutely normal. He is healthy, there is nothing wrong, but there is, what is called, an intellectual handicap. What happens is, whereas the average IQ is 100, for the mentally retarded it is 69 and below. But there is one between 70 and 89. 90 to 100 is normal. What is called "a slow learner" has an IQ between 70 and 89. I would like you to consider how to integrate this category also in the term "mental".

3·00 P.M.

Then there are others who, as I said, are normal in every respect, but they have neurological disfunctions which manifest themselves in specific disabilities sometimes in language, at other times in reading or writing or other matters. Now I think, we must at the stage of education introduce some sort of assistance to make up for this natural handicap which is not noticed because they have normal hearing, they have normal speech, they have no emotional problem, but they have difficulties in reading and writing.

Then we have also the problem of socio-emotional behavioural reactions. These are, as I said, grey areas, but we will have an occasion to look into them again.

[Shri Murlidhar Chandrakant Bhandare]

Now as I said, both these expressions—"considerable disadvantage" and "prolonged"—may be vague, but it is not desirable to cast them in any tight mould of a definition. I think over the time we will satisfactorily evolve their meaning and the matter must rest ultimately with the medical expert opinion on the one hand, and with the parents, or neighbours, or the children with whom the child is studying, on the other hand, to decide the question of disability.

Then we come to the main need of the physically handicapped. I think the disabled in the sense of physically handicapped as well as mentally retarded—both—should be guaranteed, as one of their essential specific rights, the care techniques and appliances they require for an independent life. I am happy the hon. Minister is here and I request him to look into this that all restrictions for their acquisition—legal, medical or fiscal—particularly in the case of imported equipment, should be removed. Adequate provision, as I have said in my speech, should be made for an insurance cover also.

Then I come to the specific recommendations of my Resolution. As I have said, immediate steps should be taken for equalisation of opportunities in the matter of medical care, education and employment which will make these men who are in need of special care really full participants and independent living in the society. As I have said, we should also go in for a very positive amendment of law. Two things are necessary. Let us look at the problem in totality. Just as I have advocated a code for children and a code for women, let us also look at a code for the disabled or maimed in need of special care.

I have suggested some far-reaching changes in the Constitution. I know that it is not advisable to amend the Constitution again and again, but one thing is that if we have to amend the Constitution to strengthen the basic character, the basic features of the Constitution which deal with the dignity of an individual, the equality of individuals, then I am quite sure that when one looks at these, people will say, "Well, why is it that the founding fathers of the Constitution did not think of these amendments?" The Chinese Constitution contains a complete code—it is worth looking at for the disabled. There are one or two other nations which have incorporated it in their Constitutions.

Now, why is there the guarantee of equality in our Constitution? The guarantee of equality under the Constitution if there precisely because men and women are born unequal and because they are born unequal, it is to make them equal that this guarantee comes. Just as it forbids any inequality in the eye of law, there are provisions of what, constitutionally, is considered as positive discrimination, not negative discrimination. Discrimination against Harijans is a negative discrimination, but you have a positive discrimination when you say that you will reserve jobs for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Then it is a positive discrimination. I do not see why we cannot have these clauses of positive discrimination in our Constitution. They would include, certainly, a minimum quota of jobs for the disabled, and transfer of Entry 9 of List II—State List of the Seventh Schedule. I want it to be brought into List III—Concurrent List so that we can ourselves legislate. Then we can give a lead to the whole country and not wait for the different States to apply differently standards which are universal. These are problems which can be solved by a universal yardstick and not the regional yardstick of a particular State. Then, adequate representation in the elected bodies. Then their very presence will be a constant reminder of our duties towards these unfortunate breathern and we will do our best for their welfare.

Now I find, as it happens, that there is a complete lack of detailed statistics, as in other respects, particularly in respect of this section of the society also. We must try to have full and detailed statistics. As I said, prejudice and discrimination is a matter of social attitude.

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : लंबा बोल रहे हैं। कुछ दूसरों के भी सुझाव सुनें।

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE : I will complete in five minutes. I am only saying it so that others will get an idea. I will be glad and I will be waiting for others to speak. In fact, we will have time to put the Resolution to vote and carry it. We must create awareness to change these attitudes towards those who are physically handicapped, towards those who are mentally retarded. I still remember that when I was a school boy there used to be a lunatic outside our school and every child used to throw stones at him.

We must support voluntary organisations. I must pay my tribute, very warm tribute to the untiring and selfless work which these voluntary organisations and institutions are doing.

The other thing which I have mentioned here is to provide best aid and advice to the disabled community and about adequate resources. I hope that despite the crunch, despite the paucity of funds this is one area where the Government will not hesitate. I can assure you that no society will consider it a burden to pay for these unfortunate brethren and sisters.

Now let me end my speech. The purpose of this Resolution is to highlight the issue. The purpose is also to see that those of us who are responsible to a large extent for transforming the society do not fail to give that leadership, that stimulus that encouragement which is necessary for tackling such a problem.

With these words, Sir, I commend this Resolution for unanimous acceptance by this House.

Thank you.

The question was proposed.

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, श्री मुरलीधर चन्द्रकांत भंडारे जी ने इस सदन में जो संकल्प प्रस्तुत किया है वह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण और पुनीत है। मैं उनके इस प्रयास के लिए उन्हें साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं।

मान्यवर, यह देश का दुर्भाग्य रहा है कि आज़ादी मिलने के बाद भी इस देश में विकलांगों की संख्या बढ़ती चली गई और वह सरकार जो चली गई उसके सामने बार-बार यह प्रश्न उठाये गये लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आज स्थिति यह है कि इस देश की जनसंख्या का पांच प्रतिशत व्यक्ति विकलांग है अर्थात् अंधा, बहरा, गूंगा, लंगड़ा और शारीरिक रूप से अक्षम है। इन की संख्या देश की जनससंया का पांच प्रतिशत है। जो आंकड़े मिलते हैं, उनके अनुसार दुनियां में जितने अंधे हैं लगभग आधे अंधे इस देश के अन्दर हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि इतना विशाल देश है और यह अंधों का देश हो गया है। 6 प्रतिशत लोग अपंग हैं। जो पांच प्रतिशत जनसंख्या विकलांग है, यह मैं उनके अन्दर का बता रहा हूं, पांच मिलियन लोग शारीरिक रूप से अक्षम हैं। 1981 में सेंटर आफ बायो-मेडिकल इंजीनियरिंग, ने दिल्ली के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार इस देश में कुल मिला कर, हर प्रकार के अपंगों को मिला कर 18 मिलियन अपंग थे। लेकिन डा. ए. के. सरकार, डायरेक्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट फार हैंडीकेप्ट के अनुसार यह सदी बीतते बीतते ऐसे अपंग लोगों की संख्या 30 मिलियन हो जाने की सम्भावना है

[श्री ईश दत्त यादव]

मान्यवर, इस देश में दो लाख बच्चे प्रति वर्ष पोलियो का शिकार हो रहे हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं जिनको मैं सदन में रख रहा हूं । मान्यवर, ऐसा नहीं रहा कि सरकार की जानकारी में यह नहीं था कि इस तरह से देश के अंदर अपंगता बढ़ती चली जा रही है, डिसेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है । सरकार की जानकारी में था । लेकिन मैं यह कहने का साहस कर रहा हूं कि पिछली सरकार ने इस पर गम्भीरता से विचार नहीं किया । इसी दिल्ली के अंदर लाखों अंधे पड़े हुए हैं । बच्चे अंधे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, बालक बालिकाएं हैं । इन लोगों ने एक बार दिल्ली में प्रदर्शन किया और इस सदन के एक सदस्य थे श्री आडवाणी जी, जो कि अब उस सदन में है, उनकी अध्यक्षता में सरकार ने एक कमेटी बनायी, इसका अध्ययन करने के लिए और एक संवैधानिक प्रारूप तैयार करने के लिए कि इससे कैसे निपटा जाये । उस कमेटी ने 1981 में अपनी रिपोर्ट दे दी । लेकिन सरकार जिस तरह से और रिपोर्ट्स को रद्दी की टोकरी में फेंकती रही है वह भी रद्दी की टोकरी में चली गयी । फिर प्रदर्शन हुआ, अंधे और अपंग लोगों की तरफ से और 1985 में सरकार ने फिर एक कमेटी बैठायी । मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि वह कमेटी तो गठित कर दी गयी लेकिन पेपर पर वह कमेटी सरकार ने बनायी और वह कमेटी पेपर पर ही रह गयी तथा संभवतः उसकी एक भी बैठक नहीं हुई और विचार करने की बात तो आगे है । फिर इसी दिन सदन के एक माननीय सदस्य थे श्री बहरूल इस्लाम साहब जो उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश थे उनकी अध्यक्षता में 1987 में एक कमेटी बैठायी गयी और उस कमेटी ने 1988 में अपनी रिपोर्ट दे दी । उस कमेटी ने सुझाव दिया, आंकड़े दिये कि देश के अंदर अपंगों की संख्या कितनी है और किस तरह से उनको राहत पहुंचायी जा सकती है । लेकिन 1988 की वह रिपोर्ट जिसे श्री बहरूल इस्लाम साहब और उनकी समिति ने दिया था उस पर भी सरकार ने विचार नहीं किया । फिर एक कमेटी बनायी गयी । जो केन्द्रीय मंत्री समाज कल्याण थी उनकी अध्यक्षता में 40 सदस्यों की एक समिति बनायी गयी और सरकार ने उस कमेटी को निर्देश दिये एक विषय दिया कि आप इसके बारे में अध्ययन करें और सुझाव दें कि कैसे कल्याणकारी योजनाएं अपंगों के बारे में बनायी जा सकती हैं । लेकिन मैं नहीं जानता मान्यवर, मेरी जानकारी में नहीं है कि उस समिति की रिपोर्ट कोई अब तक आई या नहीं आई क्योंकि मंशा यह थी कि अगर उस समिति की रिपोर्ट सरकार के पास आ जाये तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में उसका समावेश करके जो देश के अन्दर अपंग है, अविहित है, अंधे हैं, इन लोगों की सहायता की जा सके ।

मान्यवर, यह देश के अंदर जो अपंगता बढ़ी है, इसके बहुत से कारण हैं । मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता । पेट से पैदा होते ही बच्चे अपंग पैदा होते हैं । इसका मुख्य कारण होता है इस देश में जच्चा बच्चा के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की कुपोषण होता है, पालन पोषण अच्छा नहीं हो पाता, गर्भवती मां को अच्छी डाइट नहीं मिल पाती, बीमारी की स्थिति में चिकित्सा सुलभ नहीं हो पाती, जिसके कारण अपंग, अंधे बच्चे पैदा होते हैं । फिर बच्चे पैदा हो गए उनके लिए हास्पिटल की व्यवस्था नहीं, दवा चिकित्सा की व्यवस्था नहीं उनके पालन पोषण की व्यवस्था नहीं । परिणाम यह होता है कि प्रति वर्ष अंधे और पोलियो से ग्रसित बच्चों की संख्या बढ़ती चली जा रही है । इस ओर सरकार ने अब तक ध्यान नहीं दिया है । दुर्घटनाएं हो जाती हैं । माननीय भण्डारे जी ने कई उदाहरण दिये हैं । दुर्घटनाओं के कारण भी लोग अपंग होते चले जा रहे हैं । यदि पिछली सरकार ने इस पर गौर किया होता । तो मैंने तो संक्षेप में इसका विवरण प्रस्तुत किया है । जो आंकड़े उपलब्ध हो सके, उनके आधार पर प्रस्तुत किया है ।

इस देश की बहुत बड़ी संख्या आज अपंगता के कारण पीड़ित है और इसके बुरे परिणाम होते हैं । जिस बच्चे की या जिस परिवार में रहने वाले अपंग व्यक्ति के पालन-पोषण की कोई व्यवस्था नहीं है, खाने और कपड़े का कोई इंतजाम नहीं है, मां-बाप मर गये, परिवार में पालन-पोषण का या जीविका का कोई साधन नहीं है, तो मान्यवर, आप जानते होंगे कि ऐसे लोग जिनको कहीं काम नहीं मिलता है, रोजी नहीं मिलती है, वह अपना पेट पालने के लिए अपराध करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, चोरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं ।

मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि ऐसे अपंग लोग अवैध धंधे भी करते हैं, मादक द्रव्यों का धंधा भी करते हैं क्यों ट्रेन वगैरह में जब जाते हैं, बिना टिकट डब्लयु० टी० जाएं, तो उनको कोई पकड़ने वाला नहीं रहता, उनकी झोली की कोई जांच करने वाला नहीं रहता । तो मजबूरीवश विवश होकर के इन लोगों को अनैतिक काम पेट पालने के लिए करने पड़ते हैं ।

हमारे श्रम और कल्याण मंत्री, श्री राम विलास पासवान जी होनहार और नौजवान मंत्री हैं, इनके दिल में तड़पन है और यह स्थिति जानते हैं और जनता दल की सरकार ने भी वादा किया है इस देश की अनेक समस्याओं से निपटने के लिए, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि देश की अनेक समस्यायें जैसे हैं, उनमें से एक सब से भयंकर और जटिल समस्या है इस देश के अंदर अपंग लोगों की । मैं चाहता हूं कि इस समस्या को संविधान के साथ जोड़ा जाए । आज तक संविधान के साथ इसको जोड़ा नहीं गया और इसके दुष्परिणाम बढ़ते चले गये ।

इसलिए मेरी माननीय मंत्री जी से और सरकार से प्रार्थना है कि देश के अदर ऐसे जो अपंग लोग हैं, उनके रोजगार की गारंटी, उनके भविष्य की गारंटी, उनके जीवन-यापन के लिए संविधान में उनके अधिकारों की व्याख्या की जाए और संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार उन्हें दिया जाए ।

इस तरह का अगर कोई बच्चा अपंग है, अंधा है, बहरा है, तो उसके लिए चिकित्सा की व्यवस्था की जाए, उनके पठन-पाठन के लिए व्यवस्था की जाए ।

आज अंधों का, बहरों का, गूंगों का इस देश के अंदर स्कूल तो हैं, लेकिन बहुत कम स्कूल हैं । आज दिल्ली में अंधों के लिए ब्लाइंड स्कूल हैं । देश के कोने-कोने से अंधे बच्चों को वहां आना पड़ता है, पर एडमिशन नहीं हो पाता है ।

मैं चाहूंगा कि ऐसे अपंग लोगों के लिए, अंधे, गूंगे और बहरे बच्चों के लिए शिक्षा की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए और जब वह पढ़-लिख कर बड़े हो जायें, तो उनके रोजगार की गारंटी जरूर होनी चाहिए, ताकि पढ़ने के बाद भी जिस तरह से लोग शिक्षा प्राप्त करने के बाद बेकार पड़े हुए हैं, उस तरह से कम से कम अपंग लोगों को बेकार न रखें और इसके लिए उनको संवैधानिक अधिकार देने की बात मैं करता हूं ।

मान्यवर, मैं यह भी चाहता हूं कि ऐसे अपंग लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और कम से कम 3 प्रतिशत तो आरक्षण की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए क्योंकि जो संख्या बढ़ती चली जा रही है और मौजूदा जो अपंगों की संख्या इस देश के अंदर है, उसके हिसाब से अगर नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण दे दिया जाए, तो इनको रोजी मिल सकती है और आरक्षण सरकारी, गैर-सरकारी, अर्ध-सरकारी, सब संस्थाओं में देने के लिए कानून बनाना चाहिए ।

मान्यवर, सरकार ने जन-कल्याणकारी कार्यक्रम बनाने का वादा किया है । जन-कल्याणकारी कार्यक्रम, चला कर देश की समस्याओं को हल करने के लिए

[श्री ईश दत्त यादव]

मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा और प्रदेश सरकारों द्वारा भी इस तरह का एक सेंटर कायम किया जाए, एक संस्था कायम की जाए। जो अविलम्ब पूरे देश के अंदर सर्वे कराए कि देश के अंदर कितने अपंग हैं और ये किस प्रकार के अपंग लोग हैं और तत्काल उनकी जीविका के लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है, इस बारे में विचार करे ।

मान्यवर, मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता । मैं सदन के साथ सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार संविधान में इसको व्यवस्था करे, इसको कानूनी रूप देकर देश के अपाहिज और अपंग लोगों के कल्याण के लिए कल्याण-कारी योजना चलाए । धन्यवाद ।

श्री राम चन्द्र विकल : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभार मानता हूं, धन्यवाद करता हूं कि माननीय भंडारे जी के इस प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया ।

इसका समर्थन यादव जी ने अभी किया है । ये दोनों विद्वान सदस्य हैं जिन्होंने इस संबंध में आंकड़े इकट्ठे किए है, हिसाब-किताब और लिखा-पढ़ी बहुत की है । मैं कहां तक उनकी बारीकी में जाऊं । मैं आंकड़ों में ज्यादा भरोसा नहीं करता हूं । मैं उनके प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं और दोनों सज्जनों को बधाई इसलिए देता हूं कि वे ये चीजें कहां-कहां से खोज कर लाए हैं । इससे मुझे नयी जानकारी हो गयी । मैं तो इतना ही जानता था कि अपाहिज या अपंग बच्चे हैं या लोग हैं वे या तो पैदायशी होते हैं या दूसरे एक्सीडेंट्स की वजह से होते हैं । तीसरे बीमारियों का सही निदान न होने के कारण पैरालाइज हो जाते हैं । इसके अलावा गरीब लोगों को अच्छा आहार न मिलने की वजह से अनेक बीमारियां हो जाती हैं, कभी तेज बुखार की वजह से भी या कुछ बीमारियों की वजह से भी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं । इन्होंने बहुत नए-नए कारण बता दिए इसलिए मैं इनका आभार मानता हूं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, कानून और सरकार को तो भंडारे जी और यादव जी जानें । मैं तो सामाजिक प्राणी हूं । भंडारे जी ने भी सामाजिक संगठनों से अपील की है । मेरा यही कहना है, कि हम सरकार और कानून के आश्रित होते चले जा रहे हैं और इस कारण हमारा समाज उतना ही कमजोर होता चला जा रहा है । मैं भी सामाजिक संगठनों से भंडारे जी की तरह अपील करना चाहता हूं कि इन अपंग लोगों की सहायता के लिए वे अपनी शक्ति, साधन और समय अधिक से अधिक निकालें । अभी भंडारे जी ने जैसा कहा यहां अफसरशाही बहुत है । मैं उसमें यह जोड़ दूं कि कागजशाही भी बहुत है । ये दो "शाही" हमारे देश को बोझिल बनाती चली जा रही है । मैं तो बेपढ़ा-लिखा आदमी हूं और गांव की बात जानता हूं । सामाजिक संगठनों ने बड़े काम किए हैं । मैं कहना तो नहीं चाहता था, परन्तु कुछ निजी अनुभव यहां बताना चाहता हूं । मुझे खुद बीमार होने के बाद बीमारियों के निदान के लिए काम आ गया । मैं ईश्वर की कृपा से बोलता हूं, अभिमान नहीं हो जाए यह मुझे डर है क्योंकि अभिमान के बाद आदमी की वाणी शक्ति में असर नहीं रहता । बालकवि बैरागी जी हमारे पार्लियामेंट के मेम्बर थे । आज से कई साल पहले सेंट्रल हाल में बैठे थे । उनकी पत्नी को पेट में कुछ शिकायत थी । वे बोले आप बीमारियों का इलाज कर रहे हो, बीमारों को स्वस्थ बनाते हो और स्वस्थ को बीमार नहीं होने देते । मैंने कहा कि दोनों थोरिज हैं जो बिमार है वह स्वस्थ हो जाता है और जो स्वस्थ है वह बीमार नहीं होता । परन्तु नुस्खे बहुत छोटे-छोटे हैं । वे धीरे-धीरे मुझसे पूछते गए और मैं उन्हें बताता गया । वे पूछने लगे ये बातें कहीं आपने लिखी हैं मैंने कहा कि मैं लिखने-पढ़ने में विश्वास नहीं करता हूं । ईश्वरी प्रसाद जी हमारे पार्लियामेंट के सेक्रेटरी थे । वे पति-पत्नी बीमार थे

ब्लड प्रेशर और शुगर के । मेरा नियम यह है कि तीन दिन मेरे घर आ जाओ या अपने घर ले जाओ, एक्सीडेंट के अलावा कोई भी बीमारी हो, मुझे सफलता हासिल हो गयी है ।

चौधरी हरि सिंह : (उत्तर प्रदेश) एड्स को छोड़कर ।

श्री राम चन्द्र विकल : यह मैंने नहीं समझा है कि क्या है पर अखबार उसमें रंगे जा रहे हैं । यह मेरी समझ में नहीं आई । अब आज से हरि सिंह जी वाली बीमारी को भी मना कर दिया करूंगा । सच्चाई से मुझे उस बीमारी का ज्ञान नहीं है । बालकवि बैरागी जी बोले, ईश्वरी प्रसाद जी तो यहीं हैं । कमरे में चले चले । मैं बोला—ईश्वरी प्रसाद जी तुमने एक दिन पी० ए० को बुलाकर मेरी मोटी-मोटी बातें लिखवाई थी, वह तुम्हारे पास हैं क्या ? वह बोले—विकल साहब, मैंने तो साइक्लोस्टाइल कराकर बहुत बांटे हैं और तेरा भी नाम हो रहा है, मेरा भी नाम हो रहा है । मैंने कहा—एक कापी मुझे दे दो और वह मैंने बालकवि बैरागी को दे दी । "साप्ताहिक हिन्दुस्तान" में निकल गया, उसमें कुछ आसन-क्रियायें निकल गई । मेरे पास देश-विदेश से चिट्ठियां आई, आत्महत्या तक की चिट्ठी आई, सिक्किम के एक फौजी अफसर की आई, बंबई से आई और एक लड़की, जिसने अपना नाम बताने को मना कर रखा है वह आज हमारे आसन करती है और कराती है, और बीमारियों पर बहुत रोकथाम कर रही है मैंने फीस लगा रखी है, यह नियमपूर्वक करो हमारी बातें और दूसरों को बताओ ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह लड़की की चिट्ठी मैं संक्षिप्त में बता दूं, नाम नहीं बताऊंगा । वह मना करती है कि मेरे बच्चे मुझसे मना करते हैं कि मैं ऐसा करने जा रही थी । उस लड़की ने लिखा, जो करोल-बाग में रहती थी, चिट्ठी मेरे पास है—विकल साहब, साप्ताहिक हिन्दुस्तान में आपके बारे में कुछ पढ़ा, सुना और जीने की कुछ आशा बंधी । मैं 32 वर्ष की युवती हूं । मेरे दो लड़के हैं—एक पन्द्रह साल का, एक ग्यारह साल का । एक की आंख लाल हो गई, एक की चश्मा लग गया । मैं लो-ब्लड प्रेसर की बीमार हूं । गोली खाते-खाते डाक्टरों से तंग आ गई हूं । और काम करने का मन नहीं चाहता, काम करना पड़ता है । कभी-कभी आत्महत्या को मन करता है । अगर आपके पास उपचार हो और समय निकाल सकें तो डूबते को तिनके का सहारा । आपकी बेटी कुसुम लिखा हुआ है । पता नहीं बताऊंगा ।

[**उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)** पीठासीन हुए]

उपसभाध्यक्ष महोदय, भगवान की कृपा है कि वह आत्महत्या की चिट्ठी लिखती थी, आज आसन करती है, दूसरों को कराती है । कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ इलाज ऐसे हैं, जो इंजेक्शन और दवाई से खराब हो जाते हैं । एक दिन मेरे विचार मावलंकर हाल में अपनी डाक्टर बोरा है, बतरा हास्पीटल में, उन पति-पत्नी ने सुने । मैं मावलंकर हाल में अपनी मोटी-मोटी बातें बोल रहा था । जब बाहर निकले तो वह दोनों मुझे छोड़ने मेरे घर आए और कहने लगे—विकल साहब, जो आपने ब्रेन और हर्ट पर मोटी-मोटी बातें यहां बताई हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कभी आ जाएंगे । मैंने कहा—मैं तैयार हूं । मैं तो इसी काम पर लगा हूं मैं तो मिशनरी हो गया हूं । पिछली 21 फरवरी को विलिंगडन हास्पिटल के कांफ्रेंस में सारी दिल्ली के हार्ट और ब्रेन के डाक्टर थे, मुझे ले गए । वैसे तो मैं डाक्टरों के बीच कई बार बोला हूं ' मगर उस दिन अपना आडम्बर लेकर गया, थोड़ा सा मैं खूंटी वाली खड़ाऊं पहनता हूं, क्यों यह जरूरी है, इसका तो समय नहीं है मेरे पास, तांबे के लोटे में पानी पीता हूं, वह भी ले गया ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): विकल जी, समय दिया जा सकता है।

श्री राम चन्द्र विकल: अच्छा संक्षिप्त कर दूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): आपको थोड़ा समय दिया जा सकता है। आप संक्षिप्त मत करिए।

श्री राम चन्द्र विकल: खैर, इन बीमारियों से बचाया जा सकता है, अपंग होने से, खुदकुशी करने से बचाया जा सकता है, ब्रेन और हार्ट की बीमारी से बचाया जा सकता है और बहुत से बचा भी दिए हैं। पेरालेसेन की बीमारी के लिए योग और आसन ही साधन है, ब्लड-प्रेशर में योग और आसन का महत्व है, शूगर की बीमारी का भी यह योग और आसन ही इलाज है। तीन-चार चीजें हैं-आसन करिए, खानपान का परहेज कीजिए और दिनचर्या का ध्यान दीजिए। इन पर जो सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं, उनको आप थोड़ा बढ़ावा दीजिए क्योंकि मैं समझता हूं कि इन संगठनों की वजह से लोगों का बहुत उपकार हो रहा है। भण्डारे जी और यादव जी ने जो कानूनी और संवैधानिक बातें की हैं, उनका भी मैं समर्थक हूं। चाहे हमारी सरकार पहले की हो या आपकी सरकार हो, आप कहते हैं हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन हमें उम्मीद है तुम्हारी नई सरकार आई है, पर नया मुल्ला ज्यादा अल्लाह-अल्लाह पुकारता है, ऐसा लगता है मुझे। तुम भी कमेटी बनाने के आदी हो अभी तक। तुम सब काम कमेटियों पर छोड़ रहे हो। ... (व्यवधान)

श्री ईश दत्त यादव: आपकी चार कमेटियां कुछ नहीं कर सकीं।

श्री राम चन्द्र विकल: चलो, अब तो हम आशा करते हैं कि आपकी सरकार और आपकी कमेटी हमारे देश की सामाजिक, आर्थिक जो भी आवश्यकता है, उसको पूरा करे, हमारा पूरा सहयोग होगा। सरकार जनतंत्र में किसी की भी हो, जनता की सरकार कहलाती है और जनता की भलाई के जो भी काम हों उसमें सहयोग होना ही चाहिए। हम सामाजिक संगठनों से अपील कर सकते हैं, उनको प्रभावित कर सकते हैं तो अपनी सरकार को कहने में या कुछ कराने में गौरव ही होना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह रहा था कि जो अपंग होता है, उसमें अमीरी और गरीबी से भी फर्क पड़ता है। एक अमीर का बच्चा अगर अपंग होगा तो उसके लिए कुछ सहूलियतें हैं, लेकिन गरीब के बच्चे के लिए कई संकटों का सामना करना पड़ता है। बड़ा भयावह दृश्य है यह, उन अपंगों और अशक्त लोगों के साथ देखने में और सुनने में। देखने में भी कभी-कभी दिल कांप जाता है, ऐसी दयनीय स्थिति उनकी होती है। उनके लिए सरकार और समाज जितनी अधिक से अधिक सहायता कर सकें, करें। सरकार और कानून के साथ-साथ, मैं सामाजिक संस्थाओं से ज्यादा कहना चाहूंगा, जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हमारी इस काम में लगी हुई हैं, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हों, उनकी तरफ से भी यह काम होता रहना है। तो जितने हमारे धार्मिक, सामाजिक और सरकारी संगठन हैं, वे सब अपाहिज किसी तरह का क्यों न हो, उन सबकी सेवा करते रहें और समाज को सशक्त बना सकें। दूसरा जो है वह यह कि अपमानित वह न समझे जाएं, यह भी समाज की तरफ से ही भावना पैदा की जा सकती है कि ऐसे लोगों को जो प्राकृतिक, दैवी गति से आज परेशान हैं, उनको समाज में कम से कम थोड़ा सा आदर मिल जाए तो वह आदर भी आदमी को कुछ न कुछ बढ़ावा देता है। मैं तो जानता हूं कि जब आदमी थक जाए तो थोड़ी सी शाबाशी दे दो, जब बैल भी थक जाता है,

उपसभाध्यक्ष महोदय, तो किसान उसकी पीठ ठोक देते हैं, वह ठंडा हुआ चला जाता है, तो ऐसे निस्साहाय लोगों को शाबाशी दे दी जाए और आदर दे दिया जाए, जिस तरह से भी उनको सहायता दी जा सकती हो, दी जाए।

मैं भन्डारे जी का समर्थन करता हूं हृदय से कि उन्होंने बड़े गंभीर विषय को लिया है। यह हमारी आज की आवश्यकता नहीं, बड़ी पुरानी आवश्यकता है और शायद युगों तक रहेगी। दवाइयों से, खान-पान की कमी से, गलत इलाजों से, पैदाइशी और इस तरह के हमारे अपंग और बीमार बढ़ते चले जाते हैं और इसमें हमारा जितना भी सहयोग हो सके, सामाजिक संगठनों का, उसमें हमें करना चाहिए।

मैं तो डाक्टरों से कह रहा था कि अगर क्षमा कर दो भाई तो मैं कुछ बात कह दूं उन्हीं डाक्टरों से जो ब्रेन और हार्ट के थे। मैंने कहा कि ब्रेन से खून का सर्कुलेशन सही नहीं और तुम ब्रिजलो लगा बैठते हो, तो डाक्टर चुप। मैंने कहा कि ब्रिजलो तो नर्वस सिस्टम को निर्जीव करती है और ब्लड में झटका लग जाए तो हानि कर सकती है। हमारे पास छोटा सा उपाय है, सिरहाना हटवाते हैं, कंधे और गर्दन की एक्सरसाइज वहीं करके दिखा दी, प्रणायाम करवा देते हैं, 3 दिन में गले की बैल्ट हटवा देते हैं। मैंने कहा तुम हार्ट को फेल होने पर ही हार्ट पर हाथ धर कर चलवाते हो, हम हृदय को पहले ही चलवाते रहते हैं न रोजाना हार्ट में ब्लड गाढ़ा हो, कुछ भी न हो।

अभी इन्टरनेशनल हार्ट के सेमिनार में मुझे ले गए कर्नल चौपड़ा, जो मूलचन्द अस्पताल के डाक्टर हैं। वहां डाक्टर लोग एक थ्योरी बता रहे थे कि हार्ट फेल होने का क्या कारण है--धमनियां सिकुड़ जाती हैं, ब्लड में गाढ़ा चरबी आ जाती है मैंने कहा कि डाक्टरों का जो कारण है, मैं उसे चुनौती नहीं देता, पर हमारे पास कुछ उपाय हैं, न धमनियां सिकुड़ेंगी न ब्लड गाढ़ा होगा। मैंने हार्ट की एक्सरसाइज दिखाई और गऊमुख आसन बताया कि धमनियां सिकुड़ेंगी कभी नहीं और ब्लड गाढ़ा नहीं होगा, तो डाक्टर चुप। मैं कहने लगा कि हार्ट अटैक के कारण कुछ और भी हैं और डाक्टर सुनें कि हमसे ज्यादा क्या जानता है। सारे देश के डाक्टर थे, देश के बाहर के भी डाक्टर थे मैंने कहा कि हार्ट अटैक उनको ज्यादा होता है जो अपने लिए, अपनी संतान के लिए, अपनी सत्ता के लिए अपनी सम्पत्ति का काम करते हैं, जो परोपकार में काम करेगा उसे हार्ट अटैक होगा ही नहीं। दूसरों की भलाई करो, दूसरे की भलाई करने में ही अपनी भलाई छिपी पड़ी है, यह एक सामाजिक काम है और किसी को हार्ट अटैक नहीं होगा। मैंने कहा हार्ट अटैक बुद्धिमान को होता है, निर्बुद्धि को नहीं होता। मैंने कहा :-

सबसे भले मूढ़, जिन्हें न व्याप जगत

ब्रेन और हृदय में विरोधाभास है, जिसका ब्रेन अच्छा होगा, हृदय अच्छा नहीं होगा, हृदय मजबूत तो ब्रेन मजबूत नहीं होगा। फिर बोला कि हार्ट अटैक ब्लड प्रैसर की वजह से होता है, गैस्ट्रिक ट्रबल से होता है, शुगर पेशंट को होता है। मेरे बंद होने के बाद पब्लिक मंच पर आ गई, फोटो खिचवाए मेरे संग, जैसे एक्टर का हाल हो। प्रतिभा सिंह भी गई थीं, राज्य सभा की मैम्बर हैं। अब चोपड़ा साहब कहने लगे कि विकल साहब मेरी मीटिंग डिस्टर्ब हो गई। मैंने कहा मेरे को घर भेज दो। ईश्वर से डर के कहता हूं एक हफ्ते, हार्ट पेशेंट दो जो हार्ट सर्जरी पे जा रहे थे पंत और मेडिकल में, एक हफ्ते उनको छोटी-छोटी बातें बताई, वे हार्ट सर्जरी से बच गए।

यह चाहे हार्ट से हो, चाहे अरेलेसिस से हो, ब्रेन फेल होने का हो, चाहे खुदकुशी का हो, जितनी भी बीमारियां हैं उन सबका इलाज योगासन क्रियाओं, खान-पान से है।

[श्री राम चन्द्र विकल]

मैं तो रोज खाने के बाद वज्रासन करता हूं। मैं 2 अक्तूबर, 1987 को रूस में गांधीजी की प्रतिमा लगाने गया था कौल साहब एम्बेसडर के घर खाने के बाद वज्रासन में बैठ गया। एक मुस्लिम लड़की अनुवाद किया करती थी जब मैं कालीन पर बैठा तो रूस के लोगों ने पूछा कि ये अलग क्यों बैठ गए? वह लड़की मेरे पास आई और उसने मुझसे पूछा कि अलग क्यों बैठ गए जमीन पर, यह रूस के लोग जानना चाहते हैं। मैंने कहा कि रूस के लोग तो शायद नास्तिक हैं पर मैं यह बतादूं कि उम्र से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। जो व्यक्ति भोजन के बाद मेरी तरह लघुशंका करके वज्रासन में बैठेगा तो इस जीवन में उनको कभी हार्ट-अटैक नहीं होगा। तो दो-तीन गोष्ठियों में मुझे बुलाया गया और मेरा भाषण करवाया गया ब्लड प्रैशर, हार्ट-अटैक आदि पर। जब मैं ब्लड प्रैशर पर बोल रहा था तो लोगों ने सवाल किया कि ब्लड प्रैशर क्यों होता है? मैंने कहा कि ब्लड प्रैशर उनको होता है जो कहते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मैंने कहा कि योग करने वाले को ब्लड प्रैशर कभी नहीं हो सकता। तो महोदय, अगर भंडारे जैसा वकील हमारी बात को उठाने वाला, रखने वाला; प्रचार करने वाला हमको और मिल जाए और यादव जी जैसा आंकड़ेबाज हमको मिल जाए तो हम सब मिलकर इस समाज की काफ़ी सेवा कर सकते हैं। संविधान और सरकार की बात तो पढ़े-लिखे लोग जानें उपसभाध्यक्ष जी, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि समाज सेवी संस्थाओं को प्रोत्साहन अवश्य दिया जाना चाहिए तभी समाज सशक्त होगा, राष्ट्र सशक्त होगा।

चौधरी हरि सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री भंडारे जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है और जिस पर सदन में चर्चा हो रही है, वह सचमुच समाज का ऐसा वर्ग है जो समाज में बिलकुल तिरस्कृत हो जाता है, जिसके लिए कोई काम नहीं मिल पाता है, जिसकी समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है और वे निराशा से, नाउम्मीदियों से हर चीज को देखते रहते हैं और अपने जीवन को वह बिल्कुल नरक में पाते हैं और यह समझने लगते हैं कि उनकी स्थिति व्यर्थ के कीड़े-मकोड़े जैसी है। तो समाज के उस अंग की ओर श्री भंडारे जी ने अपने संकल्प द्वारा उस पर चर्चा करवाकर उसकी महत्ता को बढ़ाया है और देश के सामने प्रश्न उपस्थित किया है कि इस वर्ग के उत्थान के लिए कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन आप अगर गौर से देखें तो हमारी जो पिछली सरकार थी उसने इस वर्ग को उठाने के लिए, उसको रोजगार दिलाने के लिए, उनको अपना निजी काम धंधा दिलाने के लिए, उनके आने-जाने की व्यवस्था करने के लिए, यानी उनके उत्थान का कोई ऐसा स्फ़ीयर नहीं बचा जिसमें कि पिछली सरकार ने अपने आर्थिक साधन दे करके, अपने ट्रेनिंग स्कूल दे करके उनकी भलाई और कल्याण के लिए काम न किया हो। यह कहना कि इस वर्ग के उत्थान के लिए पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, बिल्कुल गलत है और मैं इसे नहीं मानता हूं। बल्कि पिछली सरकार ने जो कुछ भी इनके लिए किया है, वह प्रशंसनीय है। उसकी गवाह हमारी संस्थाएं हैं और वह नीतियां हैं आज जो लागू हो रही हैं और जिन पर अमल हो रहा है। ये सब इसके सबूत हैं कि पिछली सरकार ने इस वर्ग के लिए कितने गंभीर प्रयत्न किए, यह प्रशंसनीय है और मौजूदा सरकार के लिए यह लैंप पोस्ट है कि वह इस राह पर चलकर इस वर्ग का उत्थान कर सकती है।

श्रीमन्, ये जो लोग अपंग हो जाते हैं, जो असहाय हो जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं उनके कई कारण हमारे साथियों ने बताए लेकिन इसका एक मूल कारण जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं वह है आर्थिक दृष्टि से कमजोरी। समाज में काफ़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो आर्थिक तौर पर कमजोर होते हैं, उनके बच्चों का एक्सीडेंट हो जाता है, घर में चोट लग जाती है, टांग टूट जाती है बैलगाड़ी से कूद पड़े, कंधे की हड्डी टूट गई और उनका सही इलाज नहीं हो पाया।

यह सिर्फ आर्थिक कमजोरी के कारण होता है और वे जीवन भर के लिए अपंग हो जाते हैं । तो बुनियादी चीज यह है कि आर्थिक कमजोरी की वजह से, उनका माकूल इलाज न हो पाने की वजह से, हर साल हमारे लाखों बच्चे अपंग हो जाते हैं । तो मूल प्रश्न यह है कि जहां हम इनके रिहैबिलिटेशन की बात कहते हैं, इनके ट्रेनिंग स्कूल चलाने की बात कहते हैं, तो सबसे पहली आवश्यकता यह है कि जहां ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहां ये पिछड़े हुए लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, जहां कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है वहां पर सरकार को इनके लिए स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिये। आप जानते हैं कि इसके लिए उनको रोजगार देना चाहिए। सरकारी विभागों में तो उनको नौकरियां दी गई, कुछ नौजवान जो अपंग थे, जो निःशक्त थे उनको रखा गया लेकिन जो प्राइवेट फैक्टरीज हैं, अंडरटेकिंग्ज हैं, कारखाने हैं, प्राइवेट उद्योग हैं, वहां उनको कोई नहीं रखता है। हमारी सरकार बराबर उनके लिए कोशिश करती रही। बराबर पार्लियामेंट में, ऐसेंबलियों में सवाल उठते रहे, लेकिन प्राइवेट सैक्टर ने इस दिशा में कोई सहयोग नहीं दिया। तो मैं मौजूदा सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे देश में एक नहीं हजारों की संख्या में हिन्दुस्तान के हर कोने में उद्योग हैं, प्राइवेट इंटरप्राइज हैं उनमें अपंगों को काम देने के लिए, उनमें रोजगार देने के लिए बड़ी सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए। उनमें अपंग लोगों को, डिसेबल्ड लोगों को रोजगार देने के लिए कोटा निर्धारित करवाना चाहिए। सरकारी अंडरटेकिंग्ज में तो कुछ लोग दिखाई भी पड़ते हैं लेकिन प्राइवेट इंटरप्राइजेज में नहीं रखते हैं और अगर रख भी लिया तो दो चार हफ्ते के लिए रख लेते हैं और फिर उनको कच्ची भरती देकर बाद में निकाल देते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि नियम तो मौजूद हैं, लेकिन कागजी कार्यवाही के रूप में ही वे रह जाते हैं। हमारे संविधान में डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, हमारी कल्याणकारी राज्य है, लेकिन इन सारी चीजों के बावजद भी उन पर अमल कराना कठिन हो रहा है। इसलिए मौजूदा सरकार जो यह कहती है कि हम खुली सरकार हैं, खुले तौर पर ऐलान करके बड़े पैमाने पर उनको नौकरियां दिलवाएं, यह मेरा आपसे अनुरोध है। यदि ऐसा होगा तो देश में कोई भी अपंग नौकरी करने के लिए बाकी नहीं रह जाए। लेकिन यह समस्या बड़ी विकट है। इसको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। इन लोगों को प्रतिष्ठा का स्थान दिलवाना है, समाज मे उनको स्थान दिलवाना है और यह जो मसला है यह केवल सरकार के सहारे पूरा नहीं हो सकता। कोई भी सरकार हो, कितनी भी मजबूत सरकार हो, कितनी भी बढ़िया हो, इस काम को कोई पूरा नहीं कर सकती। इसके लिए वालंटरी आर्गनाइजेशंस देश में होनी चाहिए। ऐसी आर्गनाइजेशंस होनी चाहिए जिनके दिल में सेवा करने की इच्छा हो, जिनके दिल में इनके लिए मोहब्बत हो। उनको समाज मे प्रतिष्ठा दिलाने की इच्छा हो। महात्मा गांधी ने कोढ़ियों के बीच में रहकर उनकी सेवा की, उनका इलाज किया, दवादारू की, प्राकृतिक चिकित्सा की। वे उस में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। लेकिन देश में लोग आज भी उनको तिरस्कृत समझते हैं । समाज में उनको प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। समाज में उनको प्रतिष्ठा मिले, यह उनका पहला उद्देश्य था। इलाज करना तो था ही, उनका उद्देश्य यह भी था कि उनको समाज में प्रतिष्ठा मिले।

श्रीमन, इस संबंध में मेरे सुझाव हैं। मेरा पहला सुझाव यह है कि देश में बड़े पैमाने पर इनकी जनगणना होनी चाहिए कि कितनी उम्र के कितने डिसेबल्ड परसन देश मे हैं। गवर्नमेंट आफ इंडिया की स्पेशल ऐजेन्सी होनी चाहिए जो अलग से अपंगों की जनगणना करे। लोगों को बड़े पैमाने पर रिहैबिलिटेट करना चाहिए। इसके लिए हमारे यहां जो स्कूलों की कमी है उसको पूरा करना चाहिए। उनकी संख्या को देखते हुए हमारे यहां जो ट्रेनिंग स्कूल हैं, पाठशालाएं हैं या जो विद्यालय हैं वे

[चौधरी हरि सिंह]

बहुत कम हैं। बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में, बंबई में कलकत्ता में, मद्रास में, त्रिवेन्द्रम में उनके लिए स्कूल हैं लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर हैं वहां पर ब्लाइंड स्कूल नहीं हैं, वहां पर उनके रहने के लिए होस्टल नहीं हैं। वहां उनके लिए स्कूल खोले जाने चाहिए। मैं जानता हूं कि कुदरत बड़ी इकानामिक है। अगर किसी को अपंग कर दिया है तो उसको दूसरी शक्ति अधिक देती है। उसमें दूसरी शक्ति का भंडार भर देती है। आप देखते हैं कि एक आदमी का एक हाथ नहीं होता तो उसका दूसरा हाथ अधिक मजबूत होता है, दोनों हाथों की शक्ति एक हाथ में होती है। इतने दूर दराज के इलाकों में या तहसील हेडक्वार्टर्स में उनके लिए प्रबंध होना चाहिए। जो हमारे दूरदराज के डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स हैं, तहसील हैडक्वार्टर्स हैं, जहां पर यह सारी सुविधायें स्कूलों को, पाठशालाओं की, विद्यालयों की नहीं हैं, संगीत की और इनके हाथ से काम करने की, हस्तकलाओं के काम करने की संस्थायें नहीं हैं वह जिले-जिले में बड़े पैमाने पर खोलना चाहिये सरकार को और इसके लिये स्पेशल फण्ड और स्पेशल बैंक क्रियेट करना चाहिये। उनको लोन आफ दिया जरूर जाता है, बैंक की आथारिटीज जो उनको बहुत परेशान करती हैं, तरह-तरह की चीजें उनसे डाक्यूमेंट मंगवाते हैं। इसलिये वे बेचारे अपंग लोग जो उनकी सहायता मिलनी चाहिये वह उनको नहीं मिल पाती। तो मान्यवर, आपसे यह भी प्रार्थना है कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स है, जो बड़ी कैपिटल राजधानियां हैं, जो हमारे बड़े-बड़े शहर हैं सिटीज हैं, उनमें तो यह सब सुविधायें मिल भी जाती हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर अगर हो जाये तो उससे बड़ी सुविधा और बड़ी समस्या का निबटारा करने में बड़ी आसानी से काम बनेगा। यह बहुत आवश्यक है।

इसके साथ-साथ कुछ अपंग ऐसे होते हैं जो बेचारे काम ही नहीं कर सकते, जो कि वह सिर्फ जिन्दा रहने का उनको हक है। बेचारे मारे भी नहीं जा सकते, वह भी नहीं कि उन पर रहम की खातिर उनको मार दिया जाये। हालांकि देश में अभी इसका कानून नहीं है। इसको कानून होना चाहिये। जो इस तरह लाइलाज हो जायें, जिनको जिन्दा रहने में भी मौत से ज्यादा तकलीफ होती है, यह भी कानून इस देश में सरे ख्याल से विचार करेंगे कि जिनको मौत से ज्यादा तकलीफ रोजाना होती है उनको मारे जाने का या स्वयं करने की इजाजत होनी चाहिये। यह कानून भी अपनी सूरत लेगा आगे, लेकिन कम से कम जो लोग जिन्दा रहने लायक हैं, उनको पेन्शन जो हैं और उनको जिन्दा रहने के लिये जो डेली एलाउंस होना चाहिये या पेंशन की व्यवस्था जरूर होनी चाहिये और उनके लिये एक आर्गनाईजेशन ऐसा होना चाहिये जो वौल्यन्टरी जैसे हमारे इन्सपैक्टर होते हैं, सुपरवाईजर होते हैं, कल्याणकारी अफसर और सुपरवाईजरी इन्सपैक्टर होते हैं जो उनकी गिनती करके उनकी देखभाल कर देखें कि कोई उनको सता तो नहीं रहा है। श्रीमन, मैं एक बात जो सबसे बड़ी होती है जहां पर कानून तो बन नहीं सकता। भण्डारी जी जानते हैं, आपने देखा होगा कि कोई बेचारा लंगड़ा होता है, कोई अंधा होता है बच्चे उनको बड़ा छेड़ते हैं, कोई उनको पत्थर मारता है, कोई उसकी टोपी छीन ले जाते हैं और तो कोई उसके ऊपर मिट्टी फेंक देते हैं और कोई उसको इतना परेशान करते हैं कि, इतना तंग करते हैं कि वह बेचारा खुदकशी को आमादा हो जाता है। यह आपको बहुत देखने को मिलेगा। मैं जहां रहता हूं, यू.पी. भवन में रहता हूं, मान्यवर, आप तो जानते हैं कि उसके बराबर में पाण्डीचेरी हाऊस है। वहां पर एक बेचारा एक लंगड़ा है, उसको नौकर रखा हुआ है, उसकी एक आंख भी अच्छी नहीं है। उसके पाण्डीचेरी हाऊस के जो लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उसको इस कदर छेड़ते हैं, तंग करते हैं कि बेचारा छिपता रहता है, लौट जाता है

जब देखता है कि चार आदमी खड़े रहते हैं तो वापिस चला जाता है, उसको बड़ी तकलीफ होती है। एक बार मैंने जो अफसर हैं शायद उनको एक चिट्ठी लिखी कि इतना सेंसिटिव मजाक नहीं होना चाहिये। इस संबंध में भी ऐसा कोई नियम भी होना चाहिये। जो रास्ते चलते हुये उसको छेड़ते चले जाते हैं, जिससे उनको जो मानसिक कष्ट होता है उसका अन्दाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। इसके लिये कोई ऐसा कानून होना चाहिये कि यह छेड़छाड़ जो होती है इसको रोका जाये और उनके मानसिक संतुलन को परेशान न किया जाये। दूसरे यह कि जो अन्धे विद्यार्थी होते है, अभी इनकी पढ़ाई-लिखाई जो है सारे देश के अन्दर जो किताबें नहीं मिल पातीं जो ब्रेल लैटर्स की किताबें होती हैं, श्रीमन् यह वह बम्बई दिल्ली में मिल जाती हैं। आप कहीं जाकर देखें कि देश में कहीं नहीं मिलती और आसानी से उपलब्ध नहीं होती और प्राईवेट बुकसेलर रख भी नहीं सकता। ऐसा जोखिम लेने वाला कोई परोपकारी दुकानदार या बुकसेलर मिलने वाला नहीं। मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार को यह जो ब्रेल लैटर्स की बुक्स होती हैं उसे बड़े पैमाने पर प्रिंट करना चाहिये और उनको वोलंटरी जो हमारा उत्तर प्रदेश का महकमा है समाज कल्याण विभाग उसके द्वारा उनको फ्री बंटवाना चाहिये, उनको पढ़वाना चाहिये, उनको देना चाहिये जिले-जिले में तो वह बहुत सीखेंगे, पहचानेंगे। अपंग कुदरत की देन है। जो हम लंगड़े हैं अंधे हैं, लूले हैं आज हम चल नहीं सकते, यह खुदा की, ईश्वर की देन है। यह हमारे किसी कर्म का फल है बल्कि विज्ञान के जरिये यह साबित हुआ कि किसी न किसी घटना का एक कारण मौजूद है, बुरे काम का नतीजा नहीं है। इसलिये इस विज्ञान के द्वारा जो हमारे मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं जिनका डवलपमेंट पूरा नहीं हो पाता उनके लिये मेडिकल साईंस इतना एडवांस हो गया, इतना डवलपमेंट हो गया है कि उनके लिये नये-नये स्पेशल हास्पिट्ल्स हैं, साइकलोजिकल होस्पिट्ल्स हैं, आपके इन्स्टीट्यूशन हैं, जिसमें इनका इलाज हो सके और उन्हें डेवलप कर सकें, उनकी देखभाल कर सकें और इसलिये सोसायटी का आवश्यक अंग बन जाते हैं। श्रीमन्, कहीं-कहीं पर ऐसे परिवार हैं कि परिवार में एक ही बच्चा होता है और यह बच्चा भी डिसएबल्ड होता है। सारा परिवार उसकी ओर देख रहा होता है। मैंने जो दो-तीन सुझाव रखे हैं मंत्री महोदय इन पर अवश्य ध्यान देंगे। भंडारे जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो इशु उन्होंने लिया है हम लोग उसका दिल से समर्थन करते हैं, उनकी भावना की कद्र करते हैं इसमें कोई शक नहीं है लेकिन इसको जरा मजबूत बनाया जाए। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स संविधान के हैं, इस सब के लागू होने के बावजूद भी जितना काम होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। मैं भंडारे जी से यह भी प्रार्थना करूंगा कि कोई ऐसी चीज लायें, उस पर डिबेट कराये सारे देश के अंदर जिससे कि समाज के जो कमजोर अंग हैं वे मजबूत हो सकें, वे भी इंसान की जिन्दगी जी सकें और यह समझ सकें कि यह संसार उनका भी है। इसी के साथ मैं संकल्प का समर्थन करता हूं।

SHRI VITHAL RAO MADHAV RAO JADHAV: Mr. Vice-Chairman Sir, I would like to support the Resolution which has been brought by my senior colleague, Mr. M. C. Bhandare. Mr. Bhandare is an eminent parliamentarian and a distinguished lawyer of this country. He has brought forward a very important Resolution concerning a social aspect of our population. It is regarding the disabled population. He has stated in his Resolution that the disabled people in our society must have the fundamental rights on the basis of equality. Their exploitation should be stopped. They must have equal opportunities. They must also be participants in our economic, social and cultural development such as pension, social insurance, rehabilitation, education and vocational training. For giving

[Shri Vithalrao Madhavrao Jadhav]

social and economic justice to our disabled population, there should be a proper legislation. There should be job reservation. He has brought out a very important aspect about the transfer of entry 9 of List II of the Seventh Schedule of the Constitution viz. "relief of the disabled and unemployable" to List III thereof. He has suggested about creation of growing public awareness about the rights of the disabled and supporting voluntary organisations and institutions working for the welfare of the disabled. These are very important features of his Resolution.

I would like to start my speech by telling the House that once I had an opportunity to visit Sevagram Ashram of Vidarbha. Mahatma Gandhi resided there for a number of years. He had started the Independence Movement from that Ashram. I saw an hut there. One leprosy patient was there in that hut. Mahatma Gandhi was treating him regularly. His name was Acharya Parchure. By treating Acharya Parchure, Mahatma Gandhi gave a message to the entire country that our disabled and suffering population must be taken care of and treated properly. He must be taken care of by the society. It is the moral responsibility of everyone of us. From that point of view, I am really very happy to state in this House that Mr. M.C. Bhandare, who is having such a social, patriotic and moral mind, has brought forward this Resolution. He has guided the amendment to the Constitution of India saying that we must do something for the disabled population of our country.

Sir, there are two types of disabled people. Some people are disabled by birth. Some people are disabled because of accidents. Some people are disabled because they do not get proper medical facilities. Some people are below the poverty line and they become disabled due to some accident or social accident. So many things happen and these sections of our population suffer. Then there are physically and mentally disabled people by birth. I do not mean to say that we are not doing anything for them. But, Sir, the measures

4 P.M. which our Government is taking are not adequate. My friend said that the former Government has not done anything for the disabled people. I do not agree with him. If he has gone through the information available, he would have got the information that in Bombay city alone, there are 19 schools for the disabled children. I do not know about other cities and other parts of the country. There are so many organisations in this country not only in Delhi but also in other parts of the country. And some organisations are working in the rural areas. Sir, you must have heard the name of Baba Amte who has got an international award for his services to the people affected by leprosy. He is working for the environment also. There are so many people who have been devoting their lives to protect the environment also. Due to pollution in the environment disabilities also take place. That is also one of the reasons. That is why it is very important that we must consider this factor in a very serious way. It must be given very serious thought. So, from that point of view, I request the hon. Minister who is present here—I know that he is a very popular Minister not only in Bihar but also in the whole of the country; he comes from the lower strata of the society—that if he should take into account whatever suggestions I give or whatever suggestions Mr. Bhandare has given and my other colleagues have given. Sir, there are so many people who get disabled by diseases, that is due to deficiency in the nutrition of food. Some people do not get medical aid proper in the rural areas. There are no medical facilities available there. But, actually, Sir, the thing is that some people say that 5 per cent of the population is disabled, that means 4 crores are disabled. I do not agree with that. We must have

special survey made of that. From that point of view, I would like to suggest to the hon. Minister to have a separate wing in the Census Department. They must make a survey of the disabled population. Whatever census arrangements that we are making after every ten years we have a census we must have a separate wing in the Census Department and we must have a separate survey of the disabled population, and then only we can have proper planning as to what we could do for this disabled population.

Sir, there are some who are disabled by accidents. I think, about 25 per cent get disabled by accidents —by rash driving or at the time of crossing the roads or in the rail accidents. So many things are there. Of course, the Railways and other departments have formulated some procedures to give them economic aid, medical relief and some job reservation also.

[The Vice-Chairman (Dr. G. Vijaya Mohan Reddy) In the Chair].

That is also not enough. Sir, there are also those who are disabled by natural calamities and man-made calamities also. Sir, you can see that in big cities like Bombay, Calcutta, Delhi, Madras, etc., a number of industries are coming up. The industries produce the bigges quantum of pollution in the cities. And sometimes the population is also forced to be disabled due to accidents as in the case of Bhopal gas tragedy. Some industries are there which are manufacturing chemicals. If there is some leakage of the gases, then most of the population will be affected; some get mentally retarded; some loose their eye-sight; some get physically retarded. And so many other things are there. So, this should not be a single effort. This must be a joint effort to give relief to the disabled.

Sir, one important aspect of the disabled is that they must get self-respect in the society. One should not treat them as disabled, one should not feel that that man is physically disabled or mentally disabled or mentally retarded. He must be given self-respect, he must be given the means of livelihood. He must be given respect. He should not be treated that he is below IQ level. As my friend said, the IQ of the mentally retarded people is 60 to 70. The normal is 90 to 100. In the more intelligent people, it is 110 or 120 or something like that. That survey is already there. But these people should be treated properly. They should be talked properly. They should have social rights also. If some blind man or some person who has lost his leg or hand, if he goes to some function, one should not laugh at him. One should have conscience to understand that it is not a natural gift. If God has made somebody blind or dumb or deaf, it is not the fault of that person or that individual. We must have a humanistic approach towards them. From that point of view we must consider these things. What I suggest to the hon. Minister through you, Sir, is that we must have separate entrepreneurships for physically and mentally retarded people. We must decide in the first instance how much entrepreneurship from this type of population we are going to have and accordingly, we should decide what type of bank facilities and other facilities we must give to these people. We must have some reservation for them.

[Vithalrao Madhavrao Jadhav]

Then Sir, begging by the physically dislabled people should be totally stopped. If you go to cities you will find that some physically disabled and mentally retarded people are begging in the streets. This is a very bad thing. Begging is a curse. We must pass some legislation in order to put a stop to begging by the physically disabled and mentally retarded people. The social outlook must be changed and one must not make a fun of their handicap. Natural disasters also cause some disabilities.

In this connection, Sir, I want to give some suggestions to the Hon. Minister. First of all, when a matter pertaining to a physically or mentally handicapped person is before a court of law, early decision must be given on it. As my friend has said, legal complaints of the disabled persons or before a State Government or the Central Government must be disposed of immediately. There should be a time-limit fixed, say three or four days, or a week at the most. We must have a uniform rule for this thing throughout the country. Secondly, Sir, arrangements should be made to cater cent per cent to the educational requirements of these people and the Government must give top priority to this programme.

Sir, if for achieving these things some Constitution Amendment is required, I would assure the hon. Minister, through you, that we will whole heartedly support that amendment. We should not throw mud on this party or that party that they did not do this thing or that thing in the course of the last 40 years or since they came to power. It is not a question of apportioning blame on one party or the other party. It is our combined responsibility and we must bring forward some legislation and if some Constitution Amendment is to be passed, you please bring forward that legislation and we will wholeheartedly support it.

With these words, Sir, I support the Resolution. Thank you.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मेरे परम मित्र श्री भंडारे जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। उनका प्रस्ताव ऐसे लोगों की मदद करेगा जो समाज के नि:शक्त लोग है। समाज के कुछ लोग ऐसे लोगों को हीन दृष्टि से देखते हैं। अभी जाधव जी ने इस बात की चर्चा की है कि जो विकलांग लोग हैं जो नि:शक्त लोग हैं वे किस तरह के होते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जो जन्म से विकलांग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दुर्घटना के कारण विकलांग हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बीमारी के कारण और कुपोषण के कारण भी विकलांग हो जाते हैं। भंडारे जी का जो यह प्रस्ताव है यह एक प्रकार से सारी मानवता के पक्ष का प्रस्ताव है। हम समाज में देखते हैं कि समाज के कुछ लोग उनको हीन भावना से देखते हैं। आप सड़कों पर जाइये, रेलवे स्टेशनों पर जाइये, प्लेटफार्म पर जाइए, इन बेचारों को आप भीख मांगते हुए पायेंगे। लोगों में यह धारणा है कि कुष्ठ रोग ऐसा रोग है जो ठीक नहीं हो सकता है और जब मनुष्य की मत्यु होती है उसके साथ ही यह रोग जा सकता है। लेकिन आज वर्तमान में जो मेडिकल साइंस है डाक्टरों का भी यह कहना है कि इस रोग का इलाज हो सकता है, सुधारा जा सकता है, ठीक हो सकता है। इस बात की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि बहुत से लोग कुष्ठ रोगियों को, विकलांग लोगों को पकड़ कर के उनसे भीख मंगवाने का भी काम करते हैं। यह जो कुप्रथा है इसे समाप्त किया जाना चाहिये। सूरदास का नाम सब लोग जानते हैं, कवि थे। मुझे इतना याद नहीं है कि वह जन्म से अंधे थे लेकिन कम से कम हिन्दी साहित्य के बहुत ही प्रकांड विद्वान और बहुत ही अच्छे कवि थे। हमारी लोकसभा में

राम विलास पासवान जी जानते है, बहुत से लोग जानते होंगे, मध्य प्रदेश से श्री जमुना प्रसाद शास्त्री जी चुन कर के आए हैं। पहले भी लोक सभा में वे थे और इस बार भी चुन कर के आए हैं। वह नेत्रहीन हैं। लेकिन सारे लोगों ने उनको चुन कर के इस देश की लोक सभा में भेजा। वे बहुत ही विद्वान हैं। बाबा आमते की चर्चा जाधव जी ने की। मैंने उनको देखा है। मैं जानता नहीं हूं, बीमारी के कारण हो या जो भी कारण हो, वह सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन समाज की सेवा कर रहे हैं और मानवीय मूल्यों की यह लोग रक्षा कर रहे हैं। इसलिए भंडारे जी ने इसमें सुझाव रखा है कि हमारे संविधान मे सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 9 और उसकी सूची III में स्थानान्तरित किया जाए। यह सुझाव उनका इसलिए है कि जो सातवीं अनुसूची है, यह राज्यों की सूची है। केवल राज्य ही इस सम्बन्ध में कोई विधान बना सकते हैं। इसलिए भंडारे जी का सुझाव है कि इसको कनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची मे परिवर्तित किया जाए। यह बहुत अच्छा सुझाव है। क्योंकि कनकरेंट लिस्ट में आने से इस में केन्द्र सरकार का भी हस्तक्षेप होगा और राज्य सरकारों का भी हस्तक्षेप होगा। इसलिए मेरा भारत सरकार से, विशेष कर के श्रम मन्त्री जी से निवेदन है कि इस सम्बन्ध मे घोषणाएं तो हुई हैं प्रयास तो करेंगे ही लेकिन इस तरीके से प्रयास होना चाहिये जिसका लाभ बहुत शीघ्र समाज के इस वर्ग को मिलना चाहिये। श्री ईश दत्त यादव जी ने नेत्रहीनों की चर्चा की है। जो वर्ष पूर्व की जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसमें इस बात की चर्चा थी कि केवल भारत में एक करोड़ लोग ऐसे हैं जो या तो नेत्रहीन हैं या किसी बीमारी के कारण उनकी आंखों की ज्योति जाती रही है। अब जरा सोचिये, जिसकी आंख चली जाए उसका जीना दूभर हो जाता है। इसलिए प्रस्ताव बहुत ही अच्छा है, समयोचित है और न केवल केन्द्रीय सरकार बल्कि राज्य सरकारों को भी इस संबंध में पहल करनी चाहिये। एक बात मैं केवल उदाहरण के रूप में रखना चाहता हूं। इस प्रकार के कार्य में कितना व्यय होगा यह आंकड़ा तो सरकार द्वारा तय किया जाएगा तब पता लगेगा।

इस प्रकार के जो विकलांग लोग हैं, नेत्रहीन लोग हैं, जो बोल नहीं सकते अर्थात गूंगे लोग हैं या अन्य प्रकार के अपंग और निःशक्त लोग हैं, ऐसे लोगों की रक्षा करना सेवा करना सरकार का काम तो है ही लेकिन कोई भी सरकार हो, विशेष कर के भारत की सरकार, जिसको खाली खजाना मिला है, इतना बड़ा काम नहीं कर सकती है। इसलिए समाज के लोगों का भी और विशेष कर समाज के साधन-सम्पन्न लोगों, बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो मदद करते भी हैं, इन को इस काम में आगे आना चाहिये। और मदद करनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं श्री भंडारे जी के इस संकल्प का समर्थन करता हूं इस आशा और विश्वास के साथ कि मन्त्री जी जो कुछ भी आश्वासन देंगे उसको कार्यान्वित करने का प्रयास भी यह सरकार करेगी।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे साथ श्री भण्डारे जी ने जो विकलांगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया है मैं उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अभी अपने पूर्व वक्ताओं को सुन रहा था तो महसूस हो रहा था कि चाहे वह राज्य सभा हो चाहे वह विज्ञान भवन हो, चाहे वह कलकत्ता का मैदान हो, चाहे बम्बई के गेट वे आफ़ इंडिया के बाहर लोग बोल रहे हों और चाहे मद्रास के मरीना बीच पर बोल रहे हों, विकलांगों के बारे में उनके विचारों, उनकी पद्धति और उनकी भाषा में कोई परिवर्तन नहीं होता। सिर्फ़ घड़ियाली आंसू बहाए जाते हैं ऐसी सभाओं में और वही आंसू यहां भी बहा रहे हैं। कभी उन्हें बेचारा कहते हैं, कभी उन्हें गरीब कहते हैं, कभी उन्हें लाचार कहते है पर हम करते कुछ नहीं। अभी भी जो सुविधाएं उपलब्ध हैं और

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

जिनका इशारा संविधान में भी दिया हुआ है कि विकलांगों के लिए नौकरियां उपलब्ध कराई जायें, मेरे ख्याल से शायद ही कोई भी ऐसा स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक अण्डरटेकिंग का आर्गेनाइजेशन नहीं होगी जहां ऐसा सर्कुलर न पहुंचा होगा गवर्नमेंट आफ़ इंडिया का कि विकलांगों को नौकरियों में प्राथमिकता दी जाये । पर बड़ा अफ़सोस होता है सुनकर कि इसको पूरा नहीं किया जाता । क्यों नहीं किया जाता ? हमारे समाज में एक बड़ी अजीबो-गरीब चीज है । कोई शुभ काम हो रहा हो और सामने एक लंगड़ा दिख जाये तो वापस चले जाते हैं और पंडित जी को कहते हैं पत्री दिखाकर कि कोई और क्षण और समय बताइये ताकि हम फ़िर अपनी यात्रा ठीक से आरम्भ कर लें। अगर एक आंख का काना दिख जाये, अंधा दिख जाये या लूला दिख जाये तो भी ऐसे होता है । तो हमारे संस्कारों में कैसी-कैसी कुरीतियां भरी हुई हैं, जब तक इनका संशोधन नहीं होगा जब तक इन विचारधाराओं में परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम इनको कोई विचार नहीं दे सकेंगे, हम इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकेंगे ।

बड़ा अफ़सोस होता है इतने सेमीनार इतनी डिबेट्स, इतनी मीटिंगों के बाद भी आज भी एक ब्लाइंड को पढ़ने के लिए जो किताब है वह उपलब्ध नहीं है । अगर किताब उपलब्ध है तो उसके मनोरंजन के लिए, उसके पढ़ने के लिए जो कहानी की किताबें हैं, छोटी-छोटी कहानियों की किताबें भी हैं वे उन भाषाओं में नहीं बनी हुई हैं जो एक ब्लाइंड को पढ़ा सके जबकि हमारे पास तो हेराल्ड राबिन, डेनिस राबिन से लेकर प्रेमचन्द और इब्ने सफ़ी की किताबें मिल जाती हैं । मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं । मेरे पास एक लड़का पढ़ता था और वह बंगलौर में इंजीनियरिंग कालेज में पढ़ने चला गया और वहां पर उसकी मोटर साइकिल का एक्सीडेंट हो गया और वह विकलांग हो गया । उसने कम्प्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की थी । उसको नौकरी तो मिल गयी, ईस्टर्न कोल-फ़ील्ड में नौकरी मिल गयी, पर उसे बैठने की जगह कहीं नहीं दी गयी थी । क्यों ? क्योंकि उसके अफ़सर को एलर्जी थी कि लंगड़ा आदमी टेढ़ा सा चलता हुआ आ रहा है । उसको अच्छा नहीं लगता था इसलिए उसको कम्प्यूटर रूम में जगह नहीं दी थी । वह भी इस जिद पर अड़ा हुआ था कि साहब अगर मैं काम नहीं करता कम्प्यूटर पर तो मैं तनख्वाह नहीं लूंगा और जब मैं संसद सदस्य बनकर संसद में आया तो उसने मुझसे गुजारिश की कि भाई इतनी मदद मेरी करो क्योंकि मैं हराम की कमाई नहीं खाना चाहता, मेरी जगह बता दो कि कहां बैठकर मैं काम करूं और महीने के अंत में अपना मेहनताना ले सकूं । मैंने पच्चीसियों चिट्ठियां उनको लिखीं । जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो एक दिन....

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : कौन सी जगह ?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : ईस्टर्न कोल फ़ील्ड । जिसके लिए एक दिन खुद मुझे जाना पड़ा और सी०एम०डी० को पकड कर कहना पड़ा कि अगर आप इसके लिए चौबीस घंटे के अंदर जगह नहीं देंगे, तब हमें कोई उपाय करना पड़ेगा, हमें यहां बैठना पड़ेगा । अगर किसी व्यक्ति विशेष को इस व्यक्ति से एलर्जी है, तो उसकी ट्रांसफ़र कर दीजिए, पर इसकी कंप्यूटर पर बैठने की जगह बनाइये और आखिरकार मजबूर होकर उन्होंने उसके लिए जगह बनाई ।

यह तो बात थी कि मैं उनका मित्र था, मैं इतनी दूर आसनसोल तक पहुंचा, पर जिसका मित्र एम०पी० न हो, जिसका मित्र आई०ए०एस० अफसर या एम०एल० सी०,एम०एल०ए० या मंत्री न हो, उसका क्या बनेगा ?

उपसभाध्यक्ष जी, इस पर विचार करने से पहले मेरे सात सूत्री प्वाइंट्स हैं, जिन पर अगर हम विचार करें, तो बहुत अच्छा होगा । यह इसके साथ-साथ चलेंगे, तभी हम उसकी पूरी पुनर्वास की बात कर सकते

हैं । पहला यह कि निरीक्षण—कई विकलांगों का ऐसे होता है कि उनकी बीमारी कोई होती है, पर उसका रोग डायग्नोसिस करके उसको कहते हैं कि साहब यह तो पंगु हो गया है, इसको लकवा मार गया है, इसको पोलियो हो गया है, इसका इलाज नहीं हो सकता, पोलियो ड्राप्स लिये थे या नहीं लिये थे? पोलियो ड्राप्स जो आपने लिये थे, वह एक्सपायर्ड थे और इसका पैर खराब हो गया है । यह तो ठीक नहीं हो सकता और उसके तरह-तरह के इलाज करके, कभी वैक्स बाथ करवा कर, कभी कहीं फिजियोथिरेपी करके, उसकी जो भी एनर्जी होती है, उसको खत्म कर देते हैं और उसको रिटार्ड थिअरी पर ले जा करके दूसरी दवाइयां दे देते हैं, जिससे कि जो भी ठीक होने की संभावना है, वह बिगड़ जाती है और ठीक होने की संभावना खत्म हो जाती है और ऐसे केस बिगड़ता है।

पहल डायग्नोसिस करेक्ट होना चाहिए और दूसरे उसके इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए ।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं भुक्तभोगी हूं । मेरी एक भतीजी है । वह छोटी आयु में ही सुनती कम थी और बिहार में हमारे भाई साहब रहते हैं । उन्होंने उसे अस्पताल में वहां दिखाया । उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इसकी ग्रोथ कम है, यह ठीक-ठाक हो जाएगी । पढ़ाइये-लिखाइये, जब बच्चों के साथ खेलेगी, तो यह ठीक हो जाएगी ।

वह बच्ची अब ग्यारह साल की है पर वह शब्द उच्चारण नहीं कर सकती, गलत उच्चारण करती है और मैं उसको यहां दिल्ली में लाया और चार-पांच डाक्टरों से सलाह-मशिवरा किया । बड़ी मुश्किल से तो ई० एन० टी० के डाक्टर मिलते हैं । उन्होंने कहा कि साहब इसके पास खराब हैं ; इसको कुछ सुनाई नहीं पड़ता, तो बोलेगी कैसे । बच्चा जब तक सुनता नहीं, तब बोलना नहीं सीखता है । वह सुन कर ही अपना अभ्यास करता है कि मां को मां बोला जाता है, बाप को बाप बोला जाता है, भाई को भाई बोला जाता है । ऐसे वह अपनी चीजें सीखता है । इसको सुनाई कम पड़ता है, इसलिए इसको दिक्कत है । आप इसको इयरफ़ोन लगा दीजिए, उसमें यह ठीक से सीख सकेगी । पिछले छह महीने से मैं उसका इलाज करवा रहा हूं । मैं देखता हूं कि उसकी काफ़ी उन्नति हुई है ।

इसके लिए मुझे स्पीच थिरेपिस्ट की जरूरत थी । तो जब उसे ढूंढा, तो यहां स्पीच थिरेपिस्ट नहीं मिलता । एक आदमी में बोलने की क्षमता है, किंतु स्पीच थिरोपिस्ट की जरूरत है । वह स्पीच थिरेपिस्ट एक महीने में ढ़ाई-ढ़ाई हजार या तीन-तीन हजार रुपए लेते हैं ।

उपसभाध्यक्ष जी, आप ही बतायें कि एक गरीब का बच्चा यह इलाज कैसे करवाये और आपके किसी भी अस्पताल में स्पीच थिरेपिस्ट उपलब्ध नहीं हैं और अगर ऐसे बच्चे दूर-दराज से आते हैं, देहात से इलाज करवाने के लिए आते हैं तो उनके निरीक्षण के लिए या उनको इलाज करवाने के लिए या उनको अभ्यास करवाने के लिए कोई भी थिरेपी की जरूरत पड़ती है, तो उसके औजार नहीं हैं । तो बड़ा आश्चर्य होता है ।

मैं आम पढ़ता था कि पुराणकाल में ब्राह्मणों ने सारी संस्कृति और सारा ज्ञान अपने पास रख लिया था और वह लोगों को बताते नहीं थे । कुछ भी कह दिया या मंत्र जप दिये । जजमान ने पूछा कि पंडित जी आप इसके अर्थ बता दीजिए । इस पर वह बोले कि तुम्हें अर्थ से क्या काम, तुम्हारा काम हो जाएगा । दक्षिणा दो और यहां से जाइये । जब डाक्टरों की भाषा भी ऐसी है कि वे प्रिस्क्रिप्शन पर जो लिखते हैं, वह अपनी समझ में नहीं आता है । खासकर ई० एन० टी० डाक्टर क्या लिखते है, उनका क्या ट्रेड सीक्रेट है, वह भगवान जानता है ।

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया]

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस ट्रीटमेंट के बाद उस बच्चे की शिक्षण की बात आती है । एक विकलांग को एजुकेट करना बहुत जरूरी होता है । उपसभाध्यक्ष महोदय, इन सारी चर्चाओं को करने के पहले हम जरा विचार करें कि हमने शिक्षक प्रशिक्षण संस्था तो खोले हैं लेकिन ये लोग बी०टी० बी०एड० और एम० एड० का सर्टिफिकेट लेकर नौकरी के लिए घूमते फिर रहे हैं । विकलांगों को पढ़ाने के लिए, ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाने के लिए, गूंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, बहरों को पढ़ाने के लिए हमने कितने शिक्षक प्रशिक्षण संस्थायें खोले हैं और कितने परसेंट शिक्षक हम तैयार करते हैं, यह सोचने की बात है । अब शिक्षा के बाद मेन चीज आती है बच्चे का आय० क्यू० टेस्ट कर के हम देख सकते हैं कि यह किस लाइन में जा सकता है और उसे उसी तरह का प्रशिक्षण दिया जा सकता है ।

ट्रेनिंग देने के बाद हम रोजगार की बात कर सकते हैं । फिर वहीं घुमा-फिराकर बात आ जाती है । हमारी संस्कृति ऐसी है कि ऐसे परिपत्र, सूचना और गाइडलाइंसज निकलने के बाद भी हम उन्हें नौकरी नहीं दे पाते क्योंकि हम अपने भाई-भतीजे की बात सोच लेते हैं । अब हमारे मुल्क में क्या होता है, यह कोई नयी बात नहीं है । मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता । मेरे पास एक सज्जन आए । वे कहने लगे कि एक चिट्ठी आप वाणिज्य मंत्री को फारवर्ड कर दीजिए । कहने लगे मुझे एक कार इम्पोर्ट करनी है । वे बोले एक स्पेशल कार है । मैं जयपुर से दिल्ली तक चलाकर आता हूं तो थक जाता हूं और मेरी कमर में दर्द हो जाता है । मुझे यूरोप के एक डाक्टर ने सर्टिफिकेट देकर अयोग्य करार दिया है । उस सर्टिफिकेट के बेसिस पर मैं उस कार को इम्पोर्ट करना चाहता हूं । मैंने कहा आप को कमर में पेन है या स्पांडेलाइटिस है तो बोले थोड़ा-सा योगा कीजिए और तख्त पर सोइए, आप ठीक हो जाएंगे । वे कहने लगे मुझे गाड़ी चाहिए । मैंने कहा हिंदुस्तान में विकलांगों को ट्राय-सायकिल नहीं मिलती, मैं आपको गाड़ी कैसे दिला दूं । इस तरह से लोग यहां इस पर भी नहीं चूकते । यहां विकलांगों के नाम पर सरकार बहुत सुविधा देती है, परंतु वे सुविधाएं ऐसे लोगों को जा रही हैं जो दस लाख की कार एफोर्ड करते हैं पर कस्टम ड्यूटी को बचाने के लिए अयोग्य का सर्टिफिकेट लेकर दे रहे हैं । उपसभाध्यक्ष महोदय, इन चीजों पर नजर डालने की जरूरत है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, एम्प्लायमेंट के बाद मैं चाहूंगा कि विकलांगों को शरण देने के बारे में हम सोचें । हमने बहुत-सी योजनाएं बनायी हैं पर मेरे ख्याल से आज तक कोई ऐसी स्कीम नहीं बनी कि डी०डी०ए० के लो इनकम ग्रुप या मीडियम इनकम ग्रुप के फ्लैट्स हों या कहीं की भी हाउसिंग के फ्लैट्स हों उस में विकलांगों को प्राथमिकता मिले । अगर मिल गयी तो फिर वहां भी कोई इसी तरह के महाराज आ जाएंगे और अपनी कमर की दर्द का बहाना बनाकर अपने आपको विकलांग घोषित कर देंगे । महोदय, इन पर कानून के माध्यम से रोक लगाने की जरूरत नहीं है । इस पर रोक तभी लग सकती है जबकि हमारे मन में इनके प्रति एक प्रेम की भावना, एक सहानुभूति की भावना न जागे । जब तक हम जिम्मेदार नहीं होंगे, जब तक हम अपनी पूरी जिम्मेदारी लेकर उनके लिए कुछ करना नहीं चाहेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हम शिक्षा से रोजगार तक आए हैं । इसके बाद एक चीज जो अखरती है वह है उसका पर्सनल जीवन । विकलांग महिलाओं का जितना यौन शोषण होता है, उतना किसी का नहीं होता है । उसका नाजायज फायदा उठाया जाता है । मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है कि ऐसी कोई पद्धति निकालनी चाहिए, विकलांगों का विवाह कराने के लिए हमें कोई बंदोबस्त करना चाहिए, उनका कोई मैरिज सेण्टर होना चाहिए । अब हो सकता है कि केरल में एक विकलांग है, उसका एक मेच करता विकलांग पंजाब में भी है; अगर मैरिज निगोशिएट हो सकती है तो करानी चाहिए । मेरी गुजारिश है कि इस

पद्धति में सरकार को मदद करनी चाहिए ताकि हम कम से कम उन्हें बसा सकें। हम उनकी अगर उनके विकलांग जीवन से मुक्ति नहीं दिला सकते तो मौत भी नहीं दे सकते और अगर मौत नहीं दे सकते तो एक आरामदायक जीवन तो दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, विकलांगों को एक आरामदायक जिंदगी देने के लिए मुरलीधर चन्द्रकांत भंडारे जी ने ये जो प्रस्ताव रखे हैं, मैं उनका पूर्ण समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मैंने जो अपने सुझाव रखे हैं, उन पर भी विचार किया जाएगा। धन्यवाद।

DR. NARREDDY THULASI REDDY (Andhra Pradesh) : Respected Vice-Chairman, Sir, my ambition is that this day, that is the 16th of March, 1990 should be written in letters of gold in the annals of Indian history because service to humanity is service to almighty and service to disabled is the greatest service one can do in one's life. So, through this august House and through this Resolution if we are able to do something more to the disabled, definitely, it will be an unforgettable day for all of us. Every citizen of this country should take a pledge for the upliftment of disabled people. We should create a new social order out of the old.

Sir, regarding disability there are three things : One is prevention; second is curative; and third is rehabilitation. Most of the disability, I can say, 390 per cent of the disability is preventive. Most of the disability is because of malnutrition. Because of malnutrition there is deficiency of proteins, deficiency of carbohydrates, deficiency of fats, deficiency of minerals, deficiency of vitamins. These deficiency diseases are the main reasons for disability. One example is Vitamin-A deficiency will leak to corneal disease, mainly keratomalasia. These corneal diseases are mainly responsible for blindness. Sir, 90 per cent of the blindness cases are because of Vitamin-A deficiency. It can be easily preventable, but there is no awareness. Actually it is cheaper also.

The second thing is immunisation. We are talking very much about universal immunisation etc. Sir, even today we are seeing poliomyelitis cases. Why? We are talking about universal immunisation. Still we are seeing poliomyelitis cases. This is because of lack of awareness, and secondly because at the peripheral level, at the field level the cold state is not maintainable. In most of the places these poliomyelitis vaccines are not being maintained at the reqired temperature. So, there is no potency in the poliomyelitis is vaccine. So, this is the main reason for the occurrence of poliomyelitis even though the baby has taken the poliomyelitis vaccine.

Sir, in some areas, especially in Nalgonda, Prakasam and Cuddapah districts of Andhra Pradesh and in so many other places fluorosis is the main cause for the disability. We cannot imagine the tragic condition of the people suffering from fluorosis. By defluorosis it is preventable.

Still we are coming across cases of infectious diseases like tuberculosis, leprosy, typhoid and some other diseases. These are also preventable.

Deafness is also one of the main disabilities. Acute suppurative otitis media, chronic suppurative otitis media and sound pollution are the main causes of deafness. These are also preventable.

Most of the factories are not using pollution control equipment Because of dust contents emanating

[Dr. Narreddy Thulasi Reddy]

from the chimneys so many respiratory and other diseases are caused. So it is clear that most of the disabilities are caused for lack of preventive measures.

Next point is curative measures. In our country there is a shortage of orthopaedic surgeons. Most of the district hospitals are not having orthopaedic surgeons. Cases like polio-myelitis and some orthopaedic accidents can be immediately treated if the orthopaedic surgeons take proper and timely steps.

Regarding rehabilitation there is a shortage of tri-cycles, ear-aids, artificial limbs and other equipments. By providing these equipments these disabled people can lead atleast 80 to 90 per cent. normal life. But the tragedy is that even after 42 years of independence, we are not in a position to supply these equipments to them. So, the Government should take note of these things. It should manufacture these equipments on a large-scale so that no disabled person is devoid of these things.

In Andhra Pradesh, there is 3 per cent reservation in fair-price shop. dealerships for these disabled people. I don't know what concessions are given in other States, but I would say that this is a good thing. I would say this reservation percentage for them can be increased to 10 or 15 per cent. Actually if any disabled person applies for a fair-price shop dealership and if there is a vacancy, he should be given. In Andhra Pradesh there is concession in the AP transport buses for the disabled persons. I don't know what is the condition in other States, but I expect in other States also the same concession should be given to them.

While welcoming the Resolution moved by Shri Bhandare, I stress more on the preventive aspects.

With these few words I conclude and support this Resolution.

SHRI KAMAL MORARKA (Rajasthan) : I think my friend Mr. Bhandare has brought a very noble Resolution before the House. I will not repeat the points made by most of the hon. Members. They are valid points. (*Interruptions*) I may be permitted to say we are so much obsessed with booth-capturing that we have no time for handicapped. I would like to talk on handicapped. I would like, to add, Sir, only two or three points to what already has been spoken. There is need for education. Employment opportunities cannot be emphasised more because everybody has spoken. Two things particularly I like in the Resolution of Mr. Bhandare: One is about the public awareness. What I observed in India is, our tendency is more of pity rather than understanding or assistance. We call the Western World materialistic but when I go to the West, I see much more compassion and understanding for the handicapped than in India which has got such a spiritual background and I thnik this is something to do with our social methods and mores. Mr. Ahluwalia made a very valid point that in society our attitude has become like this that we are ashamed of handicapped people being seen with us. I have seen people their own kith and kin, they want to avoid being seen with them in public. Sir, what can be done apart from change in the attitude, what should be done immediately is that at all public places whether they are railway stations, whether they are buses, other means of transport or other public places, everything should be reserved for the handicapped. They should have special toilets. They should have enough wheel-chairs. There should be a ramp everywhere

where the wheelchairs can be tak-Therr is should be working that this is only meant for handicapped. I have seen abroad in the public post offices there is always one telephone booth reserved for handicapped. In the railway stations, there will be bathrooms for men and women and one bathroom for the handicapped. Visually the handicapped are given so much importance that even the handicapped shed their inhibitions and even people who are escorting the handicapped, in them there is no inhibition because it is expected that handicapped people are there in our society. In India our behaviour is as if there are no handicapped people or if they are there they should be at home and nobody should bother about them and if they go in a public place, genuinely there is difficulty in helping them. After all we are a modern society, we are having aircraft, airports and communications. In all the public places, immediately handicapped people should be given special treatment. Of course, in the United States and the United Kingdom, I saw parking places reserved for the handicapped. Mr. Ahluwalia made a very valid point here that we are having import control rules in which handicapped can import cars for them. Of course, no handicapped is importing cars. But if handicapped people are supposed to drive their own vehicles in this country, they must get special treatment everywhere. Now, our whole social structure, legal structure is weighted against the handicapped people. So the immediate thing that can be done is all the authorities concerned with public transport, public services should be immediately instructed and it is not very costly thing to do. It is a question of little understanding. If you are making two toilets well you can make three. It is a question of attitude and understanding. I whole-heartedly support the Resolution of Mr. Bhandare. I commend it to the Minister incharge because what I have suggested would involve other Ministries, but the awareness must start and I hope that the Resolution would be passed in the House today so that we can command it to the Government for further action. Thank you.

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य मुरलीधर चन्द्रकान्त भंडारे जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज एक ऐसे मसले को रेजूलुशन के माध्यम से सदन के सामने रखने का काम किया है जो निश्चित ही समाज के उन दबे, कुचले लोगों से संबंधित हैं जो जिन्दा रहकर भी जिन्दा नहीं हैं और जिनके जीवन में निराशा ही निराशा है। उनकी संख्या एक दो नहीं वरन करोड़ों में है।

हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि अलग से उनका सर्वे कराया जाए। अभी तक गहन रूप से उनका कोई सर्वे नहीं हुआ है लेकिन 1981 में जो सैंपल सर्वे किया गया था उसके तहत इस देश में 4 करोड़ लोग विकलांग हैं जिनमें फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, नेत्रहीन हैं या बहरे हैं या मानसिक रूप से विकृत हैं। लेकिन उनकी संख्या निश्चित रूप से अधिक होगी। अभी तक उनके लिए जो कानून बने हैं वे अपर्याप्त है और दूसरे उनका कड़ाई से पालन नहीं किया गया है। 3 परसेंट उनके लिए रिजर्वेशन रखा गया है, लेकिन उस 3 परसेंट रिजर्वेशन का भी कोटा पूरा नहीं हो पाता है। कई योजनाएं बनीं। हमारे साथी ने कहा कि बहरूल इस्लाम कमेटी बनी थी। उस कमेटी की रिपोर्ट भी 1988 में आई और 1989 में कैबिनेट में गई और उसके बाद ग्रुप आफ मिनिस्टर्स के पास भेजी गई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है और मुझे खुशी है कि प्रधान मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि इस संबंध में अविलंब लेजिस्लेशन लाना चाहिए और सेंट्रल लेजिस्लेशन लाया जाएगा जो कांप्रिहेंसिव लेजिस्लेशन होगा और वह लेजिस्लेशन कारगर भी होगा। इसलिए मैंने कहा कि जहां तक माननीय ससदस्य ने जो सवाल

[श्री राम विलास पासवान]

उठाए हैं उनका प्रश्न है उससे किसी को डिफरेंस नहीं है और इस समाज के लिए जो भी किया जाना चाहिए वह बहुत कम होगा। हम लोगों का स्वयं का अनुभव है चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे अन्य क्षेत्रों में हो उनका रिहैबिलिटेशन होना चाहिए। वे कहां रहते हैं, कैसे रहते हैं यह सबको विदित है। इस देश में एक ही नहीं अनेक समस्याएं हैं। कुष्ठ रोगियों की समस्या है। इस देश में करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जो रोड पर भीख मांगते हैं। दिल्ली में जाइए, कहीं भी जाइए रोड़ पर भीख मांगते हैं, गाड़ी खडी होते ही पैसे मांगते हैं। उनकी ओर किसी की दृष्टि नहीं जाती। अगर किसी की दृष्टि गई तो उसने दो चार पैसे दे दिए लेकिन कोई नहीं सोचता है कि ये बच्चे किसके हैं, कौन है निश्चित रूप से उन तबकों के हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं या ऐसे बच्चे हैं जिनके मां बाप नहीं हैं या जिनके मां बाप के पास कोई साधन नहीं हैं कि उनकी परवरिश कर सकें। ये सब राष्ट्र के बच्चे हैं। लेकिन इनके लिए बहुत कुछ करना है। हमारी जो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं उनको भी हम सहायता देते हैं, मिनिस्ट्री से उनकी सहायता करते हैं लेकिन मुश्किल से कुछ ही परसेंटेज उनका कवर हो पाता है। काफी संख्या में गांवों में विकलांग हैं। आज तक उन तक हम नहीं पहुंच सके हैं। ये सारी समस्याएं हमारे सामने हैं। इसके लिए माननीय सदस्य की जो राय है, उनकी जो वेदना है निश्चित रूप से हम भी उसमें अपने को शामिल करते हैं। इसलिए मैं भण्डारे जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज इस सदन के माध्यम से देश का ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया है। मेरी तो अपनी राय थी कि इस लेजिस्लेशन को बहुत पहले आना चाहिए था जो नहीं आया। बराबर जब से हम लोग पार्लियामेंट के सदस्य थे हमेशा ऐसा कोई साल नहीं जाता था जब हम चाहे अंधे लोगों के ऐसोसियेशन के माध्यम से हो या किसी संस्था के आंदोलन के माध्यम से हो, इस प्रश्न को उठाते रहे हैं। लेकिन मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम निश्चित रूप से उसको लाने जा रहे हैं, एक सेंट्रल लेजिस्लेशन लाने जा रहे हैं जो बहुत ही कारगर लेजिस्लेशन होगा।

अभी भंडारे जी ने सुझाव दिया है कि इसको कांकरेंट लिस्ट में डाला जाए, इसके लिए संविधान संशोधन किया जाए। उसमें सदन की जो राय होगी वह सर्वोपरि होगी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी हमने यह निर्णय लिया है कि इसके लिए सेंट्रल लेजिस्लेशन लाया जाए जिसमें प्रत्येक वर्ग के रिहैबिलिटेशन के लिए सारी चीजों के संबंध में विधान बनाया जाए। आपने और भी सुझाव दिए हैं उन सुझावों को हम कानून बनाएंगे तो उनको पिरोने का काम करेंगे। इस मामले पर ज्यादा भाषण देने की बात नहीं है। तमाम सदस्यों की राय आ चुकी है। इसलिए मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि सरकार इसको गंभीरता से ले रही है इसका मैं आपको वचन देता हूं। हम इसी सैशन में लेजिस्लेशन लायेंगे यह भी आपको बता देना चाहता हूं। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा कि अपने साथी, विद्वान साथी से कि जो परम्परा रही है उस परम्परा को निभाते हुए अपना जो रेजोलूशन है उसको वापस ले लें। मैं आपकी और पूरे सदन की भावनाओं के साथ हूं। धन्यवाद।

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE : Mr. Vice-Chairman, Sir, I am extremely grateful to all the Members and the entire House for the strong and unanimous support which they have given to the cause of the disabled. As I said, 'disabled' is not the proper word for the people with special needs. I am also grateful to the hon. Minister for echoing our very strong sentiments on this very important matter. I can only tell him that rights of the disabled are as important as the right to work and if his Government is committed to amend the Constitution to incorporate the right to work, it will be an appropriate occasion for the Government to introduce the necessary rights, the necessary amendments to secure the rights of the disabled.

I am grateful to many of the

Members. It is gratifying that not only some lawyers participated but even a doctor participated. And another doctor has been in the Chair.

THE MINISTRS OF FINANCE (PROF. MADHU DANDAVATE): Some patients also participated.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE : I would not like to say that. That is your perception.

We had a very strong support from Shri Ram Chandra Vikal, who is a doyen and who has dedicated his life to the spread of yoga to show that disability can be kept away by practising yoga.

I am grateful to esteemed friend Shri Ish Dutt Yadav for the strong support he gave to my suggestions. Shri Hari Singh was of course very very eloquent as usual. He made a very very useful suggestion of having district headquarters, for mobilising all the activities for the welfare of the disabled, such as schools, training centres, etc. As the hon. Finance Minister is also with us, he may notice the very valuable suggestion he made of having a special bank for the disabled.

Then, I am grateful to my friend, hon. Mr. Yadav. When he mentioned Baba Amte, I remembered a case of a very young child who was born deaf and mute. He was six or seven years old. He used to go to a temple. There was a begger who was always at the temple and who went on sexually abusing this child. In the process, the child, in addition to bring deaf and dumb, developed leprosy. I know how he was shunned. Fortunately, for him, he ended up in the ashram of Baba Amte and he died there within a week of his reaching the ashram. I think nothing can be said which can be adequate for the amelioration of this valuable group of society.

Then we have a very useful suggestion of Mr. Satya Prakash Malaviya. Mr. Ahluwalia who is a human rights supporter, gave his 7- point programme.

The whole emphasis of my resolution is that we should not look at it as an individual problem. But we must institutionalise the remedy for eradicating this very serious problem. I am also grateful to Dr. Reddy for bringing out the medical aspect of the matter. Sir, my friend, Mr. Kamal Morarka has always been very very observant in these matters. I think the need is that the society recognises that these are not the needs of the disabled but these are their rights to be enjoyed by them, to be guranteed to them and tobe ensured to them. And I agree entirely that one area where we can immediately start is providing common conveniences in public places. I entirely agree that if a disabled person comes to the Parliament, he has no way of getting any assistance, he has no way of assistance, I am quite sure that the Government will look into it. I am grateful to the hon. Minister for agreeing to my Resolution in letter and spirit. As I said, I have brought this Resolution to focus the attention and to assure the whole country that the problems of this vulnerable group, their dignity, their equality of opportunity and of status are very close to the heart of legislators. I only make a request to him. Let it not be an assurance which will only remain on the proceedings of the Rajya Sabha. I will be the first to come when I see that you have introduced in the Rajya Sabha the necessary legislative measures.

[Shri Murlidhar Chandrakant Bhandare]

With these words, I thank the House again and with the assurance that I have got and he has nodded his approval----that these assurances will be fulfilled in a time-bound framework, I seek. your permission and the permission of this House to withdraw my Resolution.

The resolution was, by leave withdrawn.

RESOLUTION RE. NEED FOR MEASURES TO COMBAT EVILS IN THE PRESENT ELECTORAL SYSTEM

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY): Now, Mr. Sibtey Razi to move his Resolution.

SHRI SYED SIBTEY RAZI (Uttar Pradesh): Sir, I beg to move the following Resolution:—

"Having regard to the fact that—

(*i*) the recent elections in some State Assemblies have witnessed booth capturing, rigging, poll violence, show of muscle power and communalisation during elections and electioneering on an unprecedented scale;

(*ii*) these evils which have manifest are an alarming phenomenon, dangerous, disgraceful and destructive of the democratic fabric of our policy and culture;

(*iii*) if these evils are not checked and curbed in time, they will not only affect free and fair exercise by the people of their right to vote but erode the functioning of political system and institutions, deny legitimate protection to the innocent people and shake people's faith in democratic values;

(*iv*) if drastic steps are not initiated in right earnest to eliminate and eschew these evils, they may soon set at naught our salutary achievements as the largest and strongest parliamentary democracy in the world;

this House recommends that—

(a) urgent and effective measures be taken by the Government in consultation with the Election Commission to prevent recurrence of this menace to our parliamentary democracy;

(b) a national committee consisting of representatives of all political parties, eminent sociologists and prominent citizens in important fields of national activity be constituted to suggest long term measures for combating evils in the present electoral system; and

(c) the existing laws relating elections should be implemented "vigorously and scrupulously."

5 P.M.

मान्यवर, अपनी आजादी के संघर्ष के बाद कई प्रश्न हमारे देश के सामने थे कि हम अपने देश के तंत्र को किस तरह से चलाएंगे । यह बात गौरव की है कि देश की कियादत, देश का नेतृत्व, उन समझदार हाथों में आया था जिन्होंने देश की आजादी की जंग देखी थी । देखा था उन्होंने हिन्दू और मुसलमानों को, सिखों और ईसाइयों को जाति-बिरादरी, धर्म और छोटी-छोटी जो अन्य सीमायें हैं उनसे ऊपर उठकर मुल्क को आजाद कराने के लिए एक जुट होकर संघर्ष करना और इसीलिये यह फैसला किया गया कि जब इस देश की आजादी में सर्वहारा वर्ग ने सबसे बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया है, इस देश की आजादी में गरीबों ने, किसानों ने, मजदूरों ने और उन लोगों ने जो शोषित और पीड़ित कहलाते हैं, इस मुल्क को आजाद कराने में कैदोंबंद की सोहबत से लेकर फांसी के फंदे तक को चूमा है तो क्यों न यह अधिकार उस अवाम को दिया जाय जो गांवों में बसती है, शहरों में रहती